

Maktab\_e\_Ashraf



# पुज़-गुस्ल

और  
पाकी-नापाकी के मसाइल

लेखक

मौलाना मुफ़ती मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी रह०



सवाल व जवाब की शकल में दीनी  
मसाईल का अनमोल खज़ाना

# वुजू गुस्ल

और पाकी-नापाकी के मसाईल

लेखक

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी रह०

हिन्दी अनुवादक मुहम्मद इमरान कासमी

प्रकाशक

फरीद बुक डिपो (प्रा. लि.)

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब वुजु गुस्ल और पाकी-नापाकी  
के मसाईल

लेखक मौलाना मुहम्मद यूसुफ लुथियानवी

हिन्दी अनुवादक मुहम्मद इमरान कासमी

संयोजक मुहम्मद नासिर खान

तायदाद 1100

प्रकाशन वर्ष

कम्पोजिंग इमरान कम्प्यूटर्स

मुज़फ़्फ़र नगर (09456095608)

>>>>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा०) लि०

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, बरिया गंज, नई देहली-110002

फ़ोन आफिस, 23289786, 23289159 आवास, 23280786

## फैहरिस्त उनवानात

उनवान

पेज

### वुजू के मसाईल

• गुस्ल से पहले वुजू करने की तफसील	13
• नहाने के बाद वुजू गैर-ज़रूरी है	15
• जुमा की नमाज़ के लिए गुस्ल के बाद वुजू करना	15
• वुजू में नीयत शर्त नहीं	15
• बगैर वुजू किए सिर्फ़ नीयत से वुजू नहीं होता	16
• वुजू के अंगों का तीन बार धोना कामिल सुन्नत है	16
• घनी दाढ़ी को अन्दर से धोना ज़रूरी नहीं सिर्फ़ खिलाल काफी है	17
• आबे ज़मज़म से वुजू और गुस्ल करना	17
• पहले वुजू से नमाज़ पढ़े बगैर दोबारा वुजू करना गुनाह है	18
• एक वुजू से कई इबादतें	20
• एक वुजू से कई नमाज़ें	20
• पाकी के लिए किये गये वुजू से नमाज़ पढ़ना	21
• क्या नमाज़े जनाज़ा वाले वुजू से दूसरी नमाज़ें पढ़ सकते हैं?	21
• गुस्ल के दौरान वुजू टूट जाना	21
• जिस गुस्लखाने में पेशाब किया हो उसमें वुजू	22
• गर्म पानी से वुजू करना	22
• वुजू के बचे हुए पानी से वुजू जायज़ है	23
• इस्तेमाल किये हुए पानी से वुजू	23
• उज़्र की वजह से खड़े होकर वुजू करना	24
• खड़े होकर बेसन में वुजू करना	24
• कपड़े ख़राब होने का अन्देशा हो तो खड़ा होकर वुजू करना	24

उनवान	पेज
• कुरआन मजीद की जिल्द बनाने के लिये वुजू	25
• वुजू करने के बाद हाथ-मुँह पौँछना	26
• वुजू से पहले और खाने के बाद मिस्वाक करना	26
• मिस्वाक करना औरतों के लिये भी सुन्नत है	26
• वुजू के बाद ऐन नमाज़ से पहले मिस्वाक करना कैसा है?	27
• क्या दूधब्रश मिस्वाक की सुन्नत का बदल है	29
• दिग का इस्तेमाल और वुजू	29
• रात को सोते वक़्त वुजू करना बेहतर है	30
• जिन चीज़ों से वुजू टूट जाता है	30
• ज़ख़्म से खून निकलने पर वुजू की तफ़सील	30
• दाँत से खून निकलने पर कब वुजू टूटेगा	31
• दाँत से खून निकलने से वुजू टूट जाता है	31
• हवा ख़ारिज होने पर सिर्फ़ वुजू करे इस्तिन्जा नहीं	31
• नकसीर से वुजू टूट जाता है	32
• दुखती आँख से नजिस पानी निकलने से वुजू टूट जाता है	32
• जिन चीज़ों से वुजू नहीं टूटता	32
• लेटने से टेक लगाने से वुजू का हुक्म	32
• बोसा लेने से वुजू टूटता है या नहीं	33
• कपड़े बदलने और अपना सरापा देखने से वुजू नहीं टूटता	33
• नंगे बच्चे को देखने से वुजू नहीं टूटता	34
• नंगी तस्वीर देखने का वुजू पर असर	34
• पाजामा घुटने से ऊपर करना गुनाह है लेकिन वुजू नहीं टूटता	34
• बदन के किसी हिस्से के नंगा होने से वुजू नहीं टूटता	34
• नंगा होने या मख़सूस जगह हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता	35
• जूते पहनने से दोबारा वुजू लाज़िम नहीं	35
• शर्मगाह को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता	36
• खाना खाने या नंगा होने से वुजू नहीं टूटता	36

उनवान	पेज
• आम पर पकी हुई या गर्म चीज़ खाने से वुजू नहीं टूटता	36
• वुजू की हालत में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान इस्तेमाल करके नमाज़ पढ़ना	37
• सिगरेट पीने और टेलीवीज़न रेडियो देखने सुनने का वुजू पर असर	38
• आईना या टीवी देखने का वुजू पर असर	38
• गुड़िया देखने से वुजू नहीं टूटता	38
• नाखुनों में मैल होने पर भी वुजू हो जाता है	39
• कान का मैल निकालने से वुजू नहीं टूटता	39
• बाल बनवाने नाखुन कटवाने से वुजू नहीं टूटता	39
• सर या दाढ़ी पर मेहंदी हो तो वुजू का हुक्म	40
• बच्चे को दूध पिलाने से वुजू नहीं टूटता	40
• दाँत में चाँदी भरी होने पर गुस्ल और वुजू	40
• नकली दाँत के साथ वुजू	40
• वुजू के वक़्त औरत के सर का नंगा रहना	41
• सुर्खी, पाउडर, क्रीम लगाकर वुजू करना	41
• सेंट और वुजू	41
• वुजू के दरमियान सलाम का जवाब देना	42
• वुजू करने के बाद मुँह-हाथ साफ़ करना	42
<b>पानी के अहकाम</b>	
• समुन्दर का पानी नापाक नहीं होता	43
• कुएँ के जरासीम से दूषित पानी का हुक्म	43
• कुएँ में पेशाब गिरने से कुआँ नापाक हो जाता है	44
• गटर लाईन की मिलावट और बदबू वाले पानी का इस्तेमाल	44
• नापाक गन्दा पानी साफ़ सुधरा बना देने से पाक नहीं होता	45
• नापाक छींटों वाले लोटे को पाक करना	45

उनवान		पेज
●	बारिश के पानी के छींटे	46
●	टंकी में परिन्दा गिरकर फूल जाए तो कितने दिन की नमाज़ें लौटाई जाएँ	46
●	नापाक कुएँ का पानी इस्तेमाल करना	47
<b>गुस्ल के मसाईल</b>		
●	गुस्ल का तरीका	48
●	मस्नून बुजू के बाद गुस्ल	50
●	गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना पाक होने के लिए शर्त है	50
●	गुस्ल के आखिर में कुल्ली और गरारे करना याद आना	51
●	खिलाफे सुन्नत गुस्ल से पाकी	51
●	रमज़ान में गरारे और नाक में पानी डाले बग़ैर गुस्ल करना	52
●	गुस्ल खड़े होकर या बैठकर खुले मैदान में गुस्ल	52
●	जाँगिया पहनकर गुस्ल और बुजू करना	53
●	गहरे और जारी पानी में गोता लगाने से पाकी	53
●	हैज़ के बाद पाक होने के लिए क्या करें?	54
●	औरत को तमाम बालों का धोना ज़रूरी है	54
●	पीतल के दाँत के साथ गुस्ल और बुजू सही है	54
●	चाँदी से दाढ़ भरवाने वाले का गुस्ल	55
●	दाँत भरवाने से सही गुस्ल में रुकावट नहीं	55
●	दाँतों पर किसी धातु का खोल हो तो गुस्ल का जवाज़	56
●	मेहंदी के रंग के बावजूद गुस्ल हो जाता है	57
●	अटेच बाधरूम में गुस्ल से पाकी	57
●	ट्रेन में गुस्ल कैसे करें?	58
●	ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना मक्रूह है	59
●	पानी में सोना डालकर नहाना	59

उनवान	पेज
● क़ज़ा-ए-हाजत और गुस्ल के वक़्त किस तरफ़ मुँह करे	60
● नापाकी की हालत में वुजू करके खाना बेहतर है	61
● नापाकी की हालत में खाने पीने की इजाज़त	61
● गुस्ल की हाजत हो तो रोज़ा रखना और खाना पीना	62
● गुस्ले जनाबत में देरी करना	62
● गुस्ल न करने में दफ़्तरी मशगूलियत का उज़्र क़ाबिले क़बूल नहीं	63
● गुस्ल और वुजू में शक़ की कसरत	63
● गुस्ले जनाबत के बाद पहले वाले कपड़े पहनना	64
● नापाकी में नाख़ून और बाल काटना मक्ख़ूह है	64
● नापाकी में इस्तेमाल किए गये कपड़ों बरतनों वग़ैरह का हुक्म	64
● जनाबत की हालत में मिलना जुलना और सलाम का जवाब	65
● नंगे बदन गुस्ल करने वाला बात कर ले तो गुस्ल जायज़ है	65
● नाफ़ के नीचे के बाल कहाँ तक मूँडने चाहिएँ	66
● ग़ैर-ज़ख़री बाल कितने समय बाद साफ़ करें	66
● हर हफ़्ते सफ़ाई अफ़ज़ल है	66
● सीने के बाल ब्लेड से साफ़ करना	67
● पिंडलियों और रानों के बाल खुद साफ़ करना	67
● या नाई से साफ़ करवाना	67
● कटे हुए बाल पाक होते हैं	67
● किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है और किन से नहीं	68
● सोने में नापाक हो जाने के बाद गुस्ल	68
● हमबिस्तरी के बाद गुस्ले जनाबत मर्द औरत दोनों पर वाजिब है	68
● ख़्वाब में खुद को नापाक देखना	69
● अनीमा के अमल से गुस्ल वाजिब नहीं	69
● लाश की डॉक्टरी चीर-फाड़ करने से गुस्ल लाज़िम नहीं	70
● औरत को बच्चा पैदा होने पर गुस्ल फर्ज़ नहीं	70



उनवान		पेज
●	पेशाब के साथ कतरे खारिज होने पर गुस्ल वाजिब नहीं	71
●	कुजू या गुस्ल के बाद पेशाब का कतरा आने पर कुजू दोबारा करें गुस्ल नहीं	71
●	अगर गुस्ल करने के बाद मनी या पेशाब का कतरा आ जाये तो क्या गुस्ल वाजिब होगा?	72
<h2>तयम्मुम</h2>		
●	फ़नी न मिलने पर तयम्मुम क्यों?	73
●	तयम्मुम कब करना जायज़ है	74
●	तयम्मुम करने का तरीका	75
●	पानी होते हुए तयम्मुम करना जायज़ नहीं	75
●	कुजू और गुस्ल के तयम्मुम का एक ही तरीका है	77
●	तयम्मुम किन चीज़ों से जायज़ है?	77
●	वक्त की तंगी की वजह से बजाय गुस्ल के तयम्मुम जायज़ नहीं	78
●	तयम्मुम बीमारी में सही है, कम-हिम्मती से नहीं	78
●	गुस्ल के बजाय तयम्मुम कब जायज़ है?	79
●	डॉक्टर बीमारी की तस्दीक कर दे तो तयम्मुम करे	79
●	गुस्ल के लिए एक ही तयम्मुम काफी है	80
●	पानी लगने से मुहासों से खून निकलने पर तयम्मुम जायज़ है	80
●	मुस्तामल पानी के होते हुए तयम्मुम	80
●	रेल गाड़ी में पानी न होने पर तयम्मुम करे	81
<h2>मोज़ों पर मसह</h2>		
●	किन मोज़ों पर मसह जायज़ है?	81
●	मसह करने वाले मोज़े में पाक घमड़ा	82

## उनवान

पेज

## हैज व निफ़ास

- |                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| ● पाकी से मुताल्लिक औरतों के मसाईल                                    | 83 |
| ● दस दिन के अन्दर आने वाला खून हैज ही में शुमार होगा                  | 83 |
| ● औरत नापाकी के दिनों में नहा सकती है                                 | 84 |
| ● हैज से पाक होने की कोई आयत नहीं                                     | 84 |
| ● खास दिनों में मिलने का गुनाह करने पर तौबा व इस्तिगफ़ार और सदक़      | 84 |
| ● खास दिनों के दौरान शौहर का छूना                                     | 85 |
| ● इस्लाम में औरत के लिए खास दिनों में रियायतें                        | 85 |
| ● निफ़ास के अहक़ाम                                                    | 86 |
| ● निफ़ास वाली औरत के हाथ से खाना पीना                                 | 87 |
| ● क्या बच्चे की पैदाईश से कमरा नापाक हो जाता है?                      | 87 |
| ● माहवारी के दिनों में मेहंदी लगाना जायज़ है                          | 88 |
| ● हैज के दौरान पहने हुए कपड़ों का हुक्म                               | 88 |
| ● औरत को ग़ैर-ज़रूरी बाल लोहे की चीज़ से दूर करना अच्छा नहीं          | 89 |
| ● हैज के दौरान इस्तेमाल किए हुए फर्नीचर वगैरह का हुक्म                | 89 |
| ● खास दिनों में औरत का ज़बान से कुरआन करीम पढ़ना जायज़ नहीं           | 89 |
| ● क्या औरत मख़सूस दिनों में ज़बानी कुरआन के अलफ़ज़ पढ़ सकती है?       | 90 |
| ● हैज के दिनों में हदीस याद करना और कुरआन का तर्जुमा पढ़ना            | 91 |
| ● खास दिनों में इम्तिहान में कुरआनी सूरतों का जवाब किस तरह लिखे       | 91 |
| ● औरतें और उस्तानियाँ खास दिनों में तिलावत किस तरह करें               | 92 |
| ● हिफ़ज़ के दौरान नापाकी के दिनों में कुरआन करीम किस तरह याद किया जाए | 93 |

उनवान		पेज
●	खास दिनों में कुरआनी आयतों वाली कोर्स की किताब पढ़ना और छूना	94
●	खास दिनों में इस्लामी किताबों में लिखी आयतें किस तरह पढ़ें	94
●	हैज की हालत में कुरआन व हदीस की दुआएँ पढ़ना	95
●	औरतों का खास दिनों में जिक्र करना	95
●	मख्सूस दिनों में अमलियात करना	96
●	औरत सर से उखड़े बालों का क्या करे?	96
<h2>नाखुन-पालिश की बला</h2>		
●	नाखुन-पालिश लगाना काफ़िरों की पैरवी है इससे न वुजू होता है न गुस्ल न नमाज़	97
●	नाखुन पालिश वाली मथियत की पालिश साफ़ करके गुस्ल दें	98
●	नील पालिश और लिपिस्टिक के साथ नमाज़	99
●	नाखुन पालिश को मोज़ों पर कियास करना सही नहीं	100
●	नाखुन पालिश और लबों की सुर्खी का गुस्ल और वुजू पर असर	100
●	खुशी से या जबरन नाखुन पालिश लगाने के मसाईल	101
●	क्या बनावटी दाँत और नाखुन पालिश के साथ गुस्ल सही है	102
●	औरतों के लिए किस किस का मैकअप जायज़ है?	103
●	पाकी और नापाकी में तिलावत दुआ व अज़कार	104
●	नापाकी और बेवुजू होने की हालत में कुरआन शरीफ़ पढ़ना	104
●	नापाकी की हालत में कुरआनी आयतों का तावीज़ इस्तेमाल करना	104
●	गुस्ल लाज़िम होने पर किन चीज़ों का पढ़ना जायज़ है	105
●	कुरआनी आयतों और हदीस वाले मज़मून को बेवुजू छूना	105
●	पत्ती वाला पान खाकर कुरआन शरीफ़ पढ़ सकता है	106
●	गुस्ल फर्ज़ होने पर इस्मे आजम का विर्द	106
●	बेवुजू कुरआन छूना और खाते हुए तिलावत करना	106

उनवान	पेज
• बगैर वुजू तिलावते कुरआन का सवाब	107
• बगैर वुजू के दुरूद शरीफ़ पढ़ सकते हैं	107
• बेवुजू अल्लाह का ज़िक्र	108
• लैट्रीन में कलिमा ज़बान से पढ़ना जायज़ नहीं	108
• लैट्रीन में दुआ ज़बान से नहीं बल्कि दिल में पढ़े	108
• लफ़ज़ "अल्लाह" वाला लॉक़िट पहनकर लैट्रीन जाना	109
• मैदान में कज़ा-ए-हाजत से पहले दुआ कहाँ पढ़े	109
• नापाकी की हालत में नाखुन काटना	109

## नजासत और पाकी के मसाईल

• नजासते ग़लीज़ा और नजासते ख़फीफ़ा की परिभाषा	110
• कितनी नजासत लगी रह गई तो नमाज़ हो गई?	112
• देर तक क़तरे आने वाले के लिए तहारत का तरीक़ा	112
• हवा निकलने के साथ अगर नजासत निकल जाए तो वुजू से पहले इस्तिन्जा करे	113
• सोकर उठने के बाद हाथ धोना	113
• वुजू के पानी के क़तरे नापाक नहीं होते	115
• वुजू के छींटों से हौज़ नापाक नहीं होता	115
• जुक़ाम में नाक से निकलने वाला पानी पाक है	116
• दूधपीते बच्चे का पेशाब नापाक है	116
• बच्चे का पेशाब पड़ने पर कहाँ तक चीज़ पाक हो सकती है	116
• एक मशीन पर ग़ैर-मुस्लिमों के कपड़ों के साथ धुलाई	117
• ड्राई-क्लीन के धुले कपड़ों का हुक्म	117
• क्या वाशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े पाक होते हैं	119
• धोबी के धुले हुए कपड़े पाक हैं	119
• प्लास्टिक के बरतन भी धोने से पाक हो जाते हैं	120

उनवान	पेज
• बरतन पाक करने का तरीका	120
• गन्दगी में गिर जाने वाली घड़ी को पाक करने का तरीका	120
• स्ई और फ़ोम का गद्दा पाक करने का तरीका	121
• नापाक कपड़े धूप में सुखाने से पाक नहीं होते	122
• हाथ पर जाहिरी नजासत न होने से बरतन नापाक न होगा	122
• नापाक छींटों से कपड़े नापाक होंगे	122
• नापाक कपड़ा धोने के छींटे नापाक हैं	123
• गन्दे लोगों से टच होने पर कपड़ों की पाकी	123
• नापाक जगह सूखने के बाद पाक हो जाती है	124
• जिस चीज़ का नापाक होना यकीनी या ग़ालिब न हो वह पाक समझी जाएगी	125
• पाकी में शैतान के वस्वसे को ख़त्म करने की तरकीब	125
• जिन कपड़ों को कुत्ता छू जाए उनका हुक्म	126
• कुत्ते का लुआब नापाक है	126
• क्या छोटा कुत्ता भी नापाक है?	127
• बिल्ली के जिस्म से कपड़े छू जाएँ तो?	127
• नापाक चर्बी वाला साबुन	128



बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

## वुजू के मसाईल

### गुस्ल से पहले वुजू करने की तफ़सील

सवाल: एक क़ारी (पाठक) के एक सवाल के जवाब में आपने गुस्ल और वुजू के मुताल्लिक़ तहरीर फ़रमाया है कि गुस्ल करने से वुजू हो जाता है। इसलिए गुस्ल के बाद वुजू करने की ज़रूरत नहीं, नमाज़ पढ़ी जा सकती है। बल्कि जब तक उस गुस्ल से कम से कम दो रकअत न पढ़ ली जाएँ दोबारा वुजू करना गुनाह है।

मैंने खुद बहुत बार यह मसला किताबों में पढ़ा है लेकिन आप जैसे उलेमा हज़रात से कभी फ़ायदा नहीं उठाया और अब तक शुकूक व शुब्हात में मुब्तला रहा। बराहे करम मेरी तसल्ली व तशफ़्फ़ी के लिए और दूसरे मेरे जैसे पाठकों की भलाई की खातिर ज़रा तफ़सील से इस मसले की वज़ाहत फ़रमाएँ।

जैसा कि आपके इल्म में है कि वुजू में एक बार चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है, अब अगर एक शख्स पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है तब तो वह वुजू भी करेगा, लेकिन एक शख्स पाकी की हालत में गुस्ल करता है तो ज़ाहिर है वह वुजू नहीं करेगा, फिर चौथाई सर का मसह के क्या मायने? और वह किस तरह सिर्फ़ गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकता है। एक हदीस

पेशे खिदमत है- हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुस्ल के बाद वुजू नहीं करते थे और गुस्ल से पहले जो वुजू करते थे उसी पर इक्तिफ़ा (बस) फ़रमाते थे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

ऊपर दर्ज की गयी हदीस से यह भी साबित हुआ कि हज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुस्ल से पहले के वुजू पर इक्तिफ़ा (संतुष्टि) फ़रमाते थे, यानी वुजू जरूर फ़रमाते थे। लिहाज़ा इस हदीस की रोशनी में तहरीर फ़रमाएँ कि बग़ैर वुजू के गुस्ल से नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं? जबकि सर का मसह वुजू में फ़र्ज़ है।

जवाब: वुजू नाम है तीन आज़ा (मुँह, हाथ और पाँव) के धोने और सर के मसह करने का, और जब आदमी ने गुस्ल कर लिया तो उसके जिम्न में (अंतर्गत) वुजू भी हो गया, गुस्ल से पहले वुजू कर लेना सुन्नत है जैसा कि आपने हदीस शरीफ़ नक़ल की है, लेकिन अगर किसी ने गुस्ल से पहले वुजू नहीं किया तो भी गुस्ल हो जाएगा और गुस्ल के जिम्न में (अंतर्गत) वुजू भी हो जाएगा। मसह के मायने तर हाथ सर पर फेरने के हैं, जब सर पर पानी डालकर मल लिया तो मसह से बढ़कर गुस्ल (यानी धोना) हो गया।

बहरहाल अ़वाम का यह तर्ज़-अ़मल (कार्यशैली) कि वे गुस्ल के बाद फिर वुजू करते हैं बिल्कुल ग़लत है, वुजू गुस्ल से पहले करना चाहिए ताकि गुस्ल की सुन्नत अदा हो जाए, गुस्ल के बाद वुजू करने का कोई जवाज़ नहीं।

## नहाने के बाद वुजू ग़ैर-ज़रूरी है

सवाल: नहाने के बाद बाज़ आदमियों से सुना है कि वुजू करने की ज़रूरत नहीं रहती, कुरआन व हदीस की रोशनी में जवाब दें कि आया नहाने के बाद वुजू के न करने का तरीका दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: नहाने से वुजू भी हो जाता है, बाद में वुजू की ज़रूरत नहीं।

## जुमा की नमाज़ के लिए गुस्ल के बाद

### वुजू करना

सवाल: जुमा की नमाज़ के लिए गुस्ल करने के बाद वुजू करना ज़रूरी होता है या नहीं?

जवाब: नहीं, गुस्ल के बाद जब तक वुजू न टूटे दोबारा वुजू करने की ज़रूरत नहीं।

## वुजू में नीयत शर्त नहीं

सवाल: वुजू करने के लिए नीयत करना ज़रूरी है, हमने किताब में पढ़ा है कि मुँह हाथ धोने में वही काम किया जाता है जो वुजू करने में करते हैं, अगर वुजू की नीयत नहीं की गई तो वुजू नहीं होगा बल्कि सिर्फ़ मुँह हाथ धोना हुआ, इसके अलावा वुजू में जो फ़राईज़ हैं वही अगर छूट गए तो फिर वुजू कैसे हुआ?

जवाब: नीयत करना वुजू में फ़र्ज़ नहीं, अगर मुँह-हाथ



पाँव धो लिए जाएँ और सर का मसह कर लिया जाए (कि यही चार चीजें वुजू में फर्ज हैं) तो वुजू हो जाता है, अलबत्ता वुजू का सवाब तब मिलेगा जब वुजू की नीयत भी की हो।

**बगैर वुजू किए सिर्फ नीयत से वुजू नहीं होता**

**सवाल:** अक्सर मक़ामात पर मसाजिद में पानी का इन्तिज़ाम नहीं होता और फिर वुजू के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। मैंने सुना है कि अगर कहीं पानी न मिले तो वुजू की नीयत करने से वुजू हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर वुजू हो सकता है तो उसकी नीयत भी ऐसे ही करनी होती है जैसे हम पानी के साथ वुजू करते वक़्त करते हैं, या कोई और तरीका है?

**जवाब:** सिर्फ़ वुजू की नीयत करने से वुजू नहीं होता, आपने ग़लत सुना है। शरीअत का हुक्म यह है कि अगर किसी जगह वुजू के लिए पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मूम किया जाए और पानी न मिलने का मतलब यह है कि पानी कम से कम एक मील दूर हो। इसलिए शहर में पानी के हासिल न होने की कोई वजह नहीं, जंगल में ऐसी सूरत पेश आ सकती है।

**वुजू के अंगों का तीन बार धोना**

**कामिल सुन्नत है**

**सवाल:** हमारे इस्लामियात के उस्ताद ने बताया है कि वुजू करते वक़्त हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी

डालना, मुँह धोना वगैरह जो कि तीन दफ़ा धोया जाता है, दो दफ़ा भी धोया जा सकता है। क्या यह दुरुस्त है?

**जवाब:** कामिल सुन्नत तीन-तीन बार धोना है, वुजू दो बार धोने बल्कि एक ही बार धोने से भी हो जाएगा बशर्ते कि एक बाल की जगह भी सूखी न रहे।

## घनी दाढ़ी को अन्दर से धोना ज़रूरी नहीं

### सिर्फ़ ख़िलाल काफी है

**सवाल:** क्या वुजू करते वक़्त तीन बार मुँह धोने के बाद दाढ़ी को अन्दर से बाहर से तर करने के लिए बार-बार हाथों में पानी लेकर धोना ज़रूरी है?

**जवाब:** दाढ़ी अगर घनी हो कि अन्दर की जिल्द (खाल) नज़र न आए तो उसको ऊपर से धोना फ़र्ज़ है और उसका ख़िलाल करना सुन्नत है। और अगर हल्की हो तो पूरी दाढ़ी को पानी से तर करना ज़रूरी है।

## आबे ज़मज़म से वुजू और गुस्ल करना

**सवाल:** मौलाना साहिब! मैं मक्का मुकर्रमा में रहता हूँ कई दिनों से इस मसले पर दिल में उलझन रहती है, बराहे मेहरबानी इसका शरई हल बताएँ आपका शुक्रगुज़ार हूँगा।

**मौलाना साहिब!** हम पाकिस्तान में थे तो आबे ज़मज़म के लिए इतनी मुहब्बत थी कि कुछ बता नहीं सकते, अब भी वही है, एक-एक क़तरे के लिए तरस्ते थे, यहाँ लोग वुजू करते हैं। क्या यह जायज़ है या नहीं? नमाज़ के लिए वुजू कर लेना

जायज़ है या अदब के खिलाफ़ है? तफ़सील से जवाब लिखें।

जवाब: जो शख्स वुजू से और पाक हो वह अगर महज़ बरकत के लिए आबे ज़मज़म से वुजू या गुस्ल करे तो जायज़ है। इसी तरह किसी पाक कपड़े को बरकत के लिए ज़मज़म से भिगोना भी दुरुस्त है, लेकिन बेवुजू आदमी का ज़मज़म शरीफ़ से वुजू करना या किसी नापाक आदमी का उससे गुस्ल करना मक्रूह है, ज़रूरत के वक़्त (जबकि दूसरा पानी न मिले) ज़मज़म शरीफ़ से वुजू करना तो जायज़ है मगर गुस्ले जनाबत (नापाक आदमी का पाकी हासिल करने के लिये नहाना) बहरहाल मक्रूह है।

इसी तरह अगर बदन या कपड़े पर नजासत (गंदगी और नापाकी) लगी हो तो उसको ज़मज़म-शरीफ़ से धोना भी मक्रूह बल्कि बाज़ उलेमा के क़ौल पर हराम है। यही हुक्म ज़मज़म से इस्तिन्जा करने का है। नक़ल किया गया है कि बाज़ लोगों ने आबे ज़मज़म से इस्तिन्जा किया तो बवासीर हो गई।

खुलासा यह कि ज़मज़म बहुत ही बरकत वाला पानी है, उसका अदब ज़रूरी है। उसका पीना ख़ैर व बरकत का सबब है, और चेहरे पर, सर पर और बदन पर डालना भी बरकत का सबब है, लेकिन नजासत (नापाकी) दूर करने के लिये उसको इस्तेमाल करना सही और दुरुस्त नहीं।

**पहले वुजू से नमाज़ पढ़े बग़ैर दोबारा**

**वुजू करना गुनाह है**

सवाल: अगर किसी शख्स को गुस्ल की हाजत नहीं है,

यानी वह पाक है, वह सिर्फ नहाता है, ज़ाहिर है नहाने में उसका जिस्म सर से लेकर पैर तक भीगेगा, इस सूरत में वह शख्स बगैर वुजू के नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं? याद रहे कि वह शख्स सिर्फ नहाया है उसने न नहाने से पहले और न नहाने के बाद वुजू बनाया है, लेकिन सर से पैर तक पानी ज़रूर बहाया है।

**जवाब:** गुस्ल करने से वुजू हो जाता है, इसलिए गुस्ल के बाद वुजू करने की ज़रूरत नहीं, नमाज़ पढ़ सकता है। बल्कि जब तक इस गुस्ल से कम से कम दो रकअत न पढ़ ली जाएँ या कोई दूसरी इबादत जिसमें वुजू शर्त है अदा न कर ली जाये दोबारा वुजू करना मक्रूह है।

**सवाल:** अख़बार जंग में आपके कॉलम में एक मवाल के जवाब में कि नहाने से पहले या बाद में वुजू न करने के बावजूद नहा लेने से वुजू हो जाता है, और उससे नमाज़ पढ़ी जा सकती है बल्कि गुस्ल के बाद अगर दो रकअत नमाज़ न पढ़ी जाए और वुजू किया जाए तो गुनाहगार होगा, यह बात समझ में नहीं आती, मेहरबानी फ़रमा कर ज़रा वज़ाहत से समझायें।

**जवाब:** दो बातें समझ लीजिये- अव्वल यह कि गुस्ल में जब पूरे बदन पर पानी बहा लिया तो वुजू हो गया। दूसरे लफ़्ज़ों में गुस्ल के अन्दर वुजू खुद-बखुद दाख़िल हो जाता है। दूसरी बात यह कि वुजू के बाद जब तक उस वुजू को इस्तेमाल न कर लिया जाए दोबारा वुजू करना मक्रूह है, और वुजू को इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि उस वुजू से

कम से कम दो रकअत नमाज़ पढ़ ली जाए या कोई ऐसी इबादत कर ली जाए जिसके लिए वुजू शर्त है, मसलन् नमाज़े जनाजा, सज्दा-ए-तिलावत वगैरह।

**सवाल:** जब हम गुस्ल करते हैं तो हम सिर्फ अन्डर-वियर इस्तेमाल करते हैं, मैंने काफी हज़रात से दरियाफ्त किया कि हम जो पहले वुजू करते हैं वह हो जाता है या नहीं, तो हर एक ने यही जवाब दिया कि कपड़े पहनने के बाद दोबारा वुजू करना ज़रूरी है वरना नमाज़ नहीं होती।

**जवाब:** खुदा जाने आपने किससे पूछा होगा, किसी आलिम से दरियाफ्त फ़रमाईये। गुस्ल कर लेने के बाद दोबारा वुजू करने का जहाँ तक मुझे मालूम है कोई आलिमे दीन कायल नहीं, और यह जो मशहूर है कि नंगा होने की वजह से वुजू टूट जाता है या कि नंगा होने की हालत में वुजू नहीं होता, यह बिल्कुल ग़लत है।

## एक वुजू से कई इबादतें

**सवाल:** अगर वुजू कुरआन पाक पढ़ने की नीयत से किया तो उस वुजू से नमाज़ जायज़ है या नहीं?

**जवाब:** वुजू चाहे किसी मक़सद के लिए किया हो उससे नमाज़ जायज़ है, और न सिर्फ़ नमाज़ बल्कि उस वुजू से वे तमाम इबादतें जायज़ हैं जिनके लिए तहारत (पाकी) शर्त है।

## एक वुजू से कई नमाज़ें

**सवाल:** मैं अ़सर के वक़्त वुजू कर लेती हूँ और उसी वुजू

से मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। हमारी पड़ोसन कहती है कि हर नमाज़ के लिए अलग-अलग बुजू करना चाहिए। दोनों में से क्या सही है?

जवाब: अगर बुजू न टूटे तो एक बुजू से कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं हर नमाज़ के लिए बुजू ज़रूरी नहीं, कर ले तो अच्छा है।

## पाकी के लिए किये गये बुजू से नमाज़ पढ़ना

सवाल: पाकी के लिए जो बुजू किया जाता है क्या उस बुजू से नमाज़ भी पढ़ी जा सकती है?

जवाब: बुजू चाहे किसी मकसद के लिए किया हो उससे नमाज़ जायज़ है।

## क्या नमाज़े जनाज़ा वाले बुजू से

### दूसरी नमाज़ें पढ़ सकते हैं?

सवाल: जो बुजू नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिए किया गया था उस बुजू से नमाज़े पंजगाना (फ़र्ज नमाज़ें) पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाब: पढ़ सकते हैं, मगर नमाज़े जनाज़ा के लिए जो तयम्मूम किया जाए उससे दूसरी नमाज़ें नहीं पढ़ सकते।

## गुस्ल के दौरान बुजू टूट जाना

सवाल: गुस्ल करने से पहले बुजू किया लेकिन गुस्ल के दौरान अगर बुजू टूट जाए और गुस्ल के बाद कोई नमाज़ भी

न पढ़नी हो (किसी नमाज़ का वक़्त क़रीब न हो) तो क्या गुस्ल के बाद वुजू दोबारा करना चाहिए?

जवाब: अगर वुजू टूटने के बाद गुस्ल किया और उससे वुजू के आज़ा (अंग) दोबारा धुल गए उसके बाद वुजू तोड़ने वाली कोई चीज़ पेश न आई तो उसका वुजू हो गया, नमाज़ भी पढ़ सकता है।

## जिस गुस्लख़ाने में पेशाब किया हो उसमें वुजू

सवाल: हमारे घर में एक गुस्लख़ाना (बाथरूम) है, जहाँ हम सब नहाते हैं और रात को उठकर पेशाब भी करते हैं, और मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, क्या उस गुस्लख़ाने में वुजू करना जायज़ है?

जवाब: गुस्लख़ाने में पेशाब नहीं करना चाहिए उससे वस्वसा (वहम और ख़्यालात) का मर्ज़ हो जाता है, और अगर उसमें किसी ने पेशाब कर दिया हो तो वुजू से पहले उसको धोकर पाक कर लेना चाहिए।

## गर्म पानी से वुजू करना

सवाल: गर्म पानी से वुजू करना चाहिए या नहीं?

जवाब: कोई हर्ज नहीं।

सवाल: अगर वुजू के दौरान कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो दोबारा वुजू करना चाहिए या उस हिस्से पर पानी डाल लेना चाहिए?

जवाब: सिर्फ़ उतने हिस्से का धो लेना काफ़ी है, लेकिन

उस खुश्क (सूखे) हिस्से पर पानी का बहाना ज़रूरी है सिर्फ़ गीला हाथ फेर लेना काफी नहीं।

## वुजू के बचे हुए पानी से वुजू जायज़ है

**सवाल:** अगर एक नमाज़ी वुजू करता है और जिस बरतन में पानी लेकर वुजू किया उस बरतन में कुछ पानी बच जाता है, उस बचे हुए पानी को दूसरा आदमी वुजू के लिए इस्तेमाल कर सकता है या नहीं?

**जवाब:** वुजू का बचा हुआ पानी पाक है, दूसरा आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है।

## इस्तेमाल किये हुए पानी से वुजू

**सवाल:** मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) पानी और ग़ैर-मुस्तामल पानी जबकि एक जगह जमा हों कोई और पानी वुजू के लिये न मिले और मुस्तामल और ग़ैर-मुस्तामल (बिना इस्तेमाल किया हुआ) बराबर हों, जैसे एक लोटा मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) और एक लोटा ग़ैर-मुस्तामल हो, अब फरमायें कि इस सूरत में क्या करें? वुजू या तयम्मूम?

**जवाब:** मुस्तामल और ग़ैर-मुस्तामल पानी अगर मिल जाएँ तो ग़ालिब (ज़्यादा) का एतिबार है, और अगर दोनों बराबर हों तो एहतियातन ग़ैर-मुस्तामल को मग़लूब (कम) करार दिया जाएगा और उससे वुजू सही नहीं।

**नोट:** मुस्तामल पानी वह कहलाता है जो वुजू और गुस्ल करते वक़्त आज़ा (बदन के हिस्सों) से गिरे और जिस बरतन



से वुजू या गुस्ल कर रहे हों वुजू और गुस्ल के बाद जो पानी बच जाता है वह मुस्तामल पानी नहीं कहलाता।

## उज़्र की वजह से खड़े होकर वुजू करना

**सवाल:** क्या खड़े होकर वुजू किया जा सकता है जबकि बैठकर वुजू करने में तकलीफ़ हो?

**जवाब:** खड़े होकर वुजू करने में छींटे पड़ने का एहतिमाल (शुब्हा) है, इसलिए जहाँ तक हो सके वुजू बैठकर करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो खड़े होकर वुजू करने में भी कोई हर्ज नहीं।

## खड़े होकर बेसन में वुजू करना

**सवाल:** आजकल घरों में बेसन लगे हुए हैं और लोग ज्यादातर बेसन से ही खड़े होकर वुजू कर लेते हैं। वुजू खड़े होकर करने से नमाज़ हो जाती है या नहीं?

**जवाब:** वुजू तो इस तरह भी हो जाता है (और वुजू सही हो तो उससे नमाज़ पढ़ना भी सही है) लेकिन अफ़ज़ल यह है कि क़िब्ला रुख़ बैठकर वुजू करे।

## कपड़े ख़राब होने का अन्देशा हो तो खड़ा

### होकर वुजू करना

**सवाल:** खड़े होते हुए आदमी वुजू कर लें, बैठने से कपड़े ख़राब होने का अन्देशा हो और ज्यादातर आदमी खड़े होकर वुजू करते हैं तो क्या नमाज़ हो जाती है या नहीं? क्योंकि इस

जगह में सिर्फ शॉक सिस्टम है और बैठने की जगह नहीं है?

जवाब: अगर बैठने का मौका न हो तो खड़े होकर वुजू करने में कोई हर्ज नहीं, छींटों से परहेज़ करना चाहिए।

## कुरआन मजीद की जिल्द बनाने के लिये वुजू

सवाल: मैं बुनियादी तौर पर जिल्द-साज़ हूँ। मेरी दुकान पर हर किस्म की स्टेशनरी वगैरह की जिल्द बनाने का काम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कुरआन करीम की जिल्द-साज़ी है। मेरा काम करने का तरीका यह है कि जिल्द बनाने से पहले सिर्फ हाथों को धोकर जिल्द साज़ी करता हूँ लेकिन बहैसियत मुसलमान मेरे दिल व दिमाग में यह बात हमेशा खटकती रहती है कि कुरआन करीम जैसी अज़ीम रुतबे वाली किताब की जिल्द-साज़ी अगर बावुजू की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मगर काम की ज्यादाती की वजह से मेरे लिए यह मुश्किल है।

उस मौके पर यह सोचता हूँ कि जहाँ कुरआने करीम की किताबत (लिखाई), तबाअत (छपाई) और दूसरे मराहिल तय पाते हैं तो क्या सारे अफ़राद बावुजू होकर इस काम को अन्जाम देते हैं? इस सिलसिले में कई लोगों से मश्विरा किया तो उन्होंने कहा कि मियाँ! आप सिर्फ नमाज़ पढ़ा करें यह कोई अहम मसला नहीं और न ही फ़र्ज़। बराहे करम मेरी उलझन दूर फ़रमायें।

जवाब: कुरआन करीम के पन्नों को बगैर वुजू के हाथ लगाना जायज़ नहीं। आप “कई लोगों से मश्विरा” न करें,

कुरआन करीम की जिल्द-साज़ी के लिए वुजू का एहतिमांम करें। अगर माज़ूर हैं तो मजबूरी है, लेकिन इसको हल्की और मामूली बात न समझा जाए।

## वुजू करने के बाद हाथ-मुँह पौँछना

सवाल: वुजू करने के बाद हाथ-मुँह पौँछने से सवाब में कोई कमी बेशी तो नहीं हो जाती?

जवाब: नहीं।

## वुजू से पहले और खाने के बाद मिस्वाक करना

सवाल: मिस्वाक करके अ़सर का वुजू किया, फिर मगरिब की नमाज़ के लिए वुजू करने से पहले दोबारा मिस्वाक करना ज़रूरी है? हालाँकि अ़सर और मगरिब के बीच न कुछ खाया और न पिया हो?

जवाब: वुजू करते वक़्त मिस्वाक करना सुन्नत है, चाहे वुजू पर वुजू किया जाए और खाने के बाद मिस्वाक करना अलग सुन्नत है।

## मिस्वाक करना औरतों के लिये भी सुन्नत है

सवाल: क्या नमाज़ से पहले वुजू में मिस्वाक करना औरतों के लिए भी इसी तरह सुन्नत है जैसे मर्दों के लिए?

जवाब: मिस्वाक औरतों के लिए भी सुन्नत है, लेकिन अगर उनके मसूढ़े मिस्वाक की सहाय न कर सकें तो उनके लिए दंदासे का इस्तेमाल भी मिस्वाक के बराबर है, जबकि मिस्वाक की नीयत से उसका इस्तेमाल करें।

## वुजू के बाद ऐन नमाज़ से पहले

### मिस्वाक करना कैसा है?

सवाल: मैं अपनी फूफ़ी के यहाँ रियाज़ गया था, वहाँ मैंने मस्जिद में देखा लोग सफ़ों में बैठे मिस्वाक कर रहे हैं, जब मुकब्बिर ने तकबीर कहनी शुरू की तो उन्होंने पहले मिस्वाक की और खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जब नमाज़ ख़त्म हुई तो मैंने दरियाफ़्त किया कि क्या इस तरह मिस्वाक करना जायज़ है? तो इमाम साहिब ने फ़रमाया यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की है कि नमाज़ शुरू करने से पहले और वुजू करने से पहले मिस्वाक कर लिया करो। मेरे ख़्याल में नमाज़ से पहले मिस्वाक करने का मतलब यह है कि जो लोग अ़सर से मग़रिब तक बाकुजू रहते हैं और दरमियान में कुछ खाते पीते रहते हैं तो उनके लिए हुक्म यह है कि नमाज़ से पहले मिस्वाक करके कुल्ली वग़ैरह कर लें।

जवाब: उन इमाम साहिब ने जिस हदीसे पाक का हवाला दिया है वह यह है:

لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة.

यानी अगर यह अन्देशा न होता कि मैं अपनी उम्मत को मशक्कत में डाल दूँगा तो उनको हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म करता।

इस हदीस के रावियों (बयान करने वालों) का अलफ़ाज़ के नक़ल करने में इख़िलाफ़ (मतभेद) है। बाज़ हज़रात “हर

नमाज़ के वक़्त” के अलफ़ाज़ से नक़ल करते हैं और बाज़ इसके बजाय “हर वुजू के वक़्त” नक़ल करते हैं। (बुख़ारी शरीफ़ 12-259) यानी हर वुजू के वक़्त मिस्वाक का हुक्म करता।

इन दोनों अलफ़ाज़ के पेशे नज़र हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक हदीस का मतलब यह निकलता है कि हर नमाज़ से पहले वुजू करने और हर वुजू की शुरूआत मिस्वाक से करने की तरगीब दी गई है, और हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म देने से मक़सूद यह है कि हर नमाज़ के वुजू से पहले मिस्वाक की जाए, ऐन नमाज़ के लिए खड़े होने के वक़्त मिस्वाक की तरगीब मक़सूद नहीं। अगर आदमी नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त मिस्वाक करे तो अन्देशा है कि दाँतों से खून निकल आए जिससे वुजू टूट जायेगा, और जब वुजू न रहा तो नमाज़ भी न होगी, इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० फ़रमाते हैं कि हर नमाज़ के वुजू से पहले मिस्वाक करना सुन्नत है, ऐन नमाज़ के वक़्त मिस्वाक नहीं की जाती।

इसके अलावा मिस्वाक मुँह की सुथराई और सफ़ाई के लिए की जाती है, और यह मक़सूद उसी वक़्त हासिल हो सकता है जबकि वुजू करते हुए मिस्वाक की जाए और पानी से कुल्ली करके मुँह को अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए। नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त बग़ैर पानी और कुल्ली के मिस्वाक करने से मुँह की सफ़ाई और पाकीज़गी हासिल नहीं होती, जो मिस्वाक से मक़सूद है।

सऊदी हज़रात चूँकि इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद (पैरवी करने वाले) हैं और उनके नज़दीक खून निकल आने से वुजू नहीं टूटता, इसलिए नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त मिस्वाक करते हैं, और हदीस शरीफ़ का यही मंशा समझते हैं।

## क्या टूथब्रश मिस्वाक की सुन्नत का बदल है

सवाल: क्या ब्रश और टूथपेस्ट के इस्तेमाल से मिस्वाक का सवाब मिल जाता है? जबकि ब्रश से दाँत अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं, या फिर मख़्सूस मिस्वाक ही सुन्नत नबवी की बरकत से फ़ैज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाए?

जवाब: बेहतर तो यही है कि सुन्नत अदा करने के लिए मिस्वाक का इस्तेमाल किया जाए, ब्रश इस्तेमाल करने से बाज़े अ़ालिमों के नज़दीक मिस्वाक की सुन्नत अदा हो जाती है, बाज़ के नज़दीक नहीं होती।

## विग का इस्तेमाल और वुजू

सवाल: अगर एक शख्स मजबूरी की वजह से सर पर “विग” का इस्तेमाल करता है तो वह शख्स वुजू के दौरान सर का मसह विग ही पर कर सकता है या कि उसको मसह विग उतार कर करना चाहिए?

जवाब: नक़ली बालों का इस्तेमाल जायज़ नहीं, न उनके इस्तेमाल में कोई मजबूरी है, मसह उनको उतार कर करना चाहिए। अगर उन पर मसह किया तो वुजू नहीं होगा।

**रात को सोते वक़्त वुजू करना बेहतर है**

सवाल: क्या रात को सोते वक़्त वुजू करना अफ़ज़ल है?

जवाब: जी हाँ! अफ़ज़ल (बेहतर और अच्छा) है।

**जिन चीज़ों से वुजू टूट जाता है**

**ज़ख़्म से ख़ून निकलने पर वुजू की तफ़्सील**

सवाल: मेरे हाथ पर ज़ख़्म हो गया है और अक्सर ख़ून का क़तरा टपकता रहता है, और बहुत सी बार हालते नमाज़ में भी ख़ून गिरने का अन्देशा होता है। क्या उसको तर किये बग़ैर मसह की सूरत में नमाज़ पढ़ लिया करूँ या जब क़तरा टपके तो वुजू ताज़ा कर लिया करूँ? तहकीकी जवाब देकर आभारी फ़रमाएँ।

जवाब: यहाँ दो मसले हैं- एक यह कि अगर ज़ख़्म को पानी नुक़सान देता है तो आप ज़ख़्म की जगह को धोने के बजाय उस पर मसह कर सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि अगर उसमें से ख़ून हर वक़्त रिस्ता रहता है और किसी वक़्त भी नहीं रुकता तो आपको हर नमाज़ के पूरे वक़्त के अन्दर एक बार वुजू कर लेना काफ़ी है। और अगर कभी रिस्ता है और कभी नहीं तो जब भी ख़ून निकल कर बह जाए आपको दोबारा वुजू करना होगा।

## दाँत से खून निकलने पर कब वुजू टूटेगा

**सवाल:** अगर दाँत में से खून निकलता हो और वुजू भी हो तो क्या वुजू टूट जाएगा?

**जवाब:** अगर उससे खून का ज़ायका आने लगे या थूक का रंग सुर्खी माईल (लाल) हो जाए तो वुजू टूट जाएगा वरना नहीं।

## दाँत से खून निकलने से वुजू टूट जाता है

**सवाल:** कुल्ली करते वक़्त मुँह में से खून निकल जाता है, बस दाँत में से निकल जाता है और मैं फौरन थूक देता हूँ। तो आपसे यह मालूम करना है कि मुँह में खून आने की वजह से वुजू टूट जाता है या नहीं? क्या दोबारा वुजू करना चाहिए?

**जवाब:** खून निकलने से वुजू टूट जाता है बशर्ते कि इतना खून निकला हो कि थूक का रंग सुर्खी माईल हो जाए या मुँह में खून का ज़ायका आने लगे।

## हवा ख़ारिज होने पर सिर्फ वुजू करे

### इस्तिन्जा नहीं

**सवाल:** मेरा मसला यह है कि अगर एक आदमी नहा कर नमाज़ पढ़ने के लिए जाए और बेख़्याली में उसको सिर्फ हवा ख़ारिज हो जाए तो क्या ऐसे आदमी के लिए इस्तिन्जा करना लाज़िमी है, या सिर्फ वुजू करे?

**जवाब:** सिर्फ वुजू कर लेना काफी है, पेशाब पाख़ाने के



बगैर इस्तिन्जा करना बिदअत है।

## नकसीर से वुजू टूट जाता है

सवाल: नमाज़ पढ़ते हुए नकसीर अगर निकल आए तो क्या नमाज़ छोड़ने की इजाज़त होती है?

जवाब: नकसीर से वुजू टूट जाता है इसलिए वुजू करके दोबारा नमाज़ पढ़े।

## दुखती आँख से नजिस पानी निकलने से

### वुजू टूट जाता है

सवाल: वह पानी जो आँख में से दर्द से निकले उसका क्या हुक्म है पाक या नापाक?

जवाब: दुखती हुई आँख से जो पानी निकलता है उससे वुजू नहीं टूटता, अलबत्ता अगर आँख में कोई फुन्सी वगैरह हो और उससे पानी निकलता हो तो उससे वुजू टूट जाता है, इसलिए कि यह नजिस है।

## जिन चीज़ों से वुजू नहीं टूटता

### लेटने से टेक लगाने से वुजू का हुक्म

सवाल: सोने से तो वुजू टूट जाता है, क्या लेटने से या टेक लगाकर बैठने से भी वुजू टूट जाता है?

जवाब: अगर लेटने और टेक लगाकर बैठने से नींद नहीं

आई तो वुजू कायम है।

## बोसा लेने से वुजू टूटता है या नहीं

**सवाल:** (हदीस की किताब) मुवत्ता इमाम मालिक में पढ़ा कि बीवी का बोसा लेने से वुजू टूट जाता है, क्या यह हनफी मस्लक में भी है कि बीवी का बोसा लेने से वुजू टूट जाएगा या बीवी खाविन्द (शौहर) का बोसा ले तो उसका वुजू टूट जाएगा? इसकी शरई हैसियत क्या है?

**जवाब:** हनफिया के नज़दीक बीवी का बोसा लेने से वुजू नहीं टूटता, हाँ अगर मज़ी (पेशाब की जगह से निकलने वाला एक लेसदार पानी) ख़ारिज हो जाए। हदीस को इस्तेहबाब (यानी मुस्तहब यह है कि वुजू कर लिया जाये) पर महमूल कर सकते हैं।

## कपड़े बदलने और अपना सरापा देखने से

### वुजू नहीं टूटता

**सवाल:** अक्सर बड़ी उम्र की औरतें यह कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहने हुए वुजू कर लिया और फिर कुरआन-ख़्वानी में जाना है या नमाज़ पढ़नी है तो हम वुजू करने के बाद दूसरे कपड़े बदलते वक़्त अपने सरापे (वजूद और जिस्म) को न देखें, अपना सरापा देखने से वुजू टूटता है। आप इस सिलसिले में वज़ाहत फ़रमाएँ।

**जवाब:** औरतों का यह मसला सही नहीं, कपड़े बदलने से वुजू नहीं टूटता, और न अपना सरापा (सतर) देखने से वुजू

टूटता है।

**नंगे बच्चे को देखने से वुजू नहीं टूटता**

सवाल: किसी बच्चे को नंगा देखने से वुजू टूटता है या नहीं?

जवाब: नहीं।

**नंगी तस्वीर देखने का वुजू पर असर**

सवाल: क्या किसी की नंगी तस्वीर देखने से वुजू बातिल हो जाता है?

जवाब: नंगी तस्वीर देखना गुनाह है, उससे वुजू टूटता तो नहीं लेकिन दोबारा कर लेना बेहतर है।

**पाजामा घुटने से ऊपर करना गुनाह है**

**लेकिन वुजू नहीं टूटता**

सवाल: हमने आम तौर पर लोगों से सुना है कि जब पाजामा घुटने से ऊपर हो जाए तो वुजू टूट जाता है, क्या यह सही है?

जवाब: किसी के सामने पाजामा घुटनों से ऊपर करना गुनाह है, मगर उससे वुजू नहीं टूटता।

**बदन के किसी हिस्से के नंगा होने से**

**वुजू नहीं टूटता**

सवाल: मैंने सुना है कि जब पाँव पिंडली तक नंगा

(बेलिबास) हो जाए तो वुजू टूट जाता है जबकि हम बाज़ दफा गुस्ल के बाद या वैसे ही कपड़े बदलते हैं तो ज़ाहिर है कि पिंडली खुल जाती है, क्या उस हालत में भी वुजू टूट जाता है?

जवाब: बदन के किसी हिस्से के खुल जाने से वुजू नहीं टूटता।

## नंगा होने या मख्सूस जगह हाथ लगाने से

### वुजू नहीं टूटता

सवाल: गुस्लखाने में नंगा हो गया, मुकम्मल वुजू किया उसके बाद गुस्ल किया, साबुन वगैरह तमाम जिस्म पर लगाया, हाथ भी जगह-जगह (मख्सूस जगह भी) लगाया, उसके बाद कपड़े तब्दील करके बाहर आ गया। क्या नमाज़ अदा कर सकता हूँ या कपड़े बदल कर वुजू करूँ फिर नमाज़ अदा करूँ?

जवाब: वुजू हो गया दोबारा वुजू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नंगा होने या अपने बदन के हिस्सों को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता।

## जूते पहनने से दोबारा वुजू लाज़िम नहीं

सवाल: अक्सर नमाज़ी जब नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ारिग होते हैं तो जूते पहनकर घर चले जाते हैं, अभी उनका वुजू बाकी होता है कि दूसरी नमाज़ के लिए आ जाते हैं और बगैर वुजू के नमाज़ पढ़ते हैं। मसला यह है कि जब वे अपने पाँव

जूते में डालते हैं तो जूते पलीद (नापाक) और गंदी जगहों पर पड़ते हैं, क्या यह ज़रूरी नहीं होता कि फिर नमाज़ के लिए वुजू किया करें?

जवाब: जूतों के अन्दर नजासत (नापाकी) नहीं होती, इसलिए वुजू के बाद जूते पहनने से दोबारा वुजू लाज़िम नहीं होता।

## शर्मगाह को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता

सवाल: हदीस पाक नज़रों से गुज़री कि ज़कर (मर्द के लिंग) को छूने से वुजू टूट जाता है, यानी नमाज़ में हाथ या वैसे कुरआन मजीद की तिलावत करते वक़्त छू ले। इस बारे में ज़रूर आगाह करें। (मुवत्ता इमाम मालिक रह0)

जवाब: शर्मगाह (मर्द की पेशाब की जगह) को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता, हदीस में वुजू का हुक्म या तो इस्तेहबाब के तौर पर है या लुग़वी वुजू यानी हाथ धोने पर महमूल है।

## खाना खाने या नंगा होने से वुजू नहीं टूटता

सवाल: अगर कोई शख्स वुजू करके खाना खाए तो क्या वुजू टूट जाएगा? वुजू के दौरान अगर कोई शख्स नंगा होकर कपड़े तब्दील करे तो क्या वुजू टूट जाएगा?

जवाब: दोनों सूरतों में वुजू नहीं टूटता।

## आग पर पकी हुई या गर्म चीज़ खाने से वुजू नहीं टूटता

सवाल: मैं नमाज़ बाकायदगी के साथ अदा करती हूँ और

मेरा सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं चाय बहुत इस्तेमाल करती हूँ लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ खाने जैसे चाय खाना या ऐसी चीज़ें जो आग पर पकी हों, से वुजू टूट जाता है और दोबारा वुजू किया जाए।

जवाब: आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुजू नहीं टूटता।

**वुजू की हालत में हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान**

### इस्तेमाल करके नमाज़ पढ़ना

सवाल: हम देखते हैं कि हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसा करते हैं कि नमाज़ के लिए वुजू किया, नमाज़ अदा की, उसके बाद सिगरेट, बीड़ी, हुक्का पीते हैं। जब दूसरी नमाज़ का वक़्त आ जाता है तो सिर्फ़ दो तीन बार कुल्ली की और नमाज़ पढ़ लेते हैं और तस्बीह व वज़ाईफ़ भी करते हैं। अब जबकि रमज़ान शरीफ़ खुदा के फ़ज़ल व करम से शुरू हो चुका है, इसमें भी अक्सर देखते हैं कि एक शख्स तमाम दिन रोज़ा रखता है, रोज़ा इफ़तार करने से पहले वुजू करता है, रोज़ा इफ़तार करता है और उसके बाद बीड़ी, सिगरेट या हुक्का पीता है, फिर कुल्ली करने के बाद नमाज़े मग़रिब में जमाअत में शामिल हो जाता है, इससे वुजू तो ख़राब नहीं होता? वज़ाईफ़ में ख़लल तो नहीं आता? बराहे मेहरबानी इस अहम मसले से आगाह फ़रमाएँ ?

जवाब: हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पान से वुजू तो नहीं टूटता लेकिन नमाज़ से पहले मुँह की बदबू दूर करना ज़रूरी है,

अगर मुँह से हुक्का सिगरेट की बू आती हो तो नमाज़ मक्रूह हो जाती है।

## सिगरेट पीने और टेलीवीज़न रेडियो देखने सुनने का वुजू पर असर

सवाल: सिगरेट पीने, टेलीवीज़न देखने और रेडियो पर संगीत सुनने से क्या वुजू टूट जाता है?

जवाब: सिगरेट पीने से वुजू नहीं टूटता लेकिन मुँह की बदबू का पूरी तरह दूर करना ज़रूरी है, और गुनाहों के कामों से वुजू नहीं टूटता लेकिन मक्रूह ज़रूर हो जाता है। इसलिए दोबारा वुजू कर लेना मुस्तहब है।

## आईना या टीवी देखने का वुजू पर असर

सवाल: क्या आईना देखने या टीवी देखने से वुजू टूट जाता है?

जवाब: आईना देखने से तो वुजू नहीं टूटता, अलबत्ता टीवी देखना गुनाह है और गुनाह के बाद दोबारा वुजू कर लेना मुस्तहब है।

## गुड़िया देखने से वुजू नहीं टूटता

सवाल: क्या गुड़िया देखने से वुजू टूट जाता है? मैंने सुना है कि वुजू से गुड़िया पर नज़र पड़ जाए तो वुजू टूट जाता है क्या यह सही है?

जवाब: गुड़िया देखने से वुजू नहीं टूटता।

## नाखुनों में मैल होने पर भी वुजू हो जाता है

**सवाल:** काम करने के दौरान नाखुनों में मैल चला जाता है, अगर हम मैल साफ किए बगैर वुजू करें तो वह होगा या नहीं?

**जवाब:** वुजू हो जाएगा मगर नाखुन बढ़ाना खिलाफे फितरत है।

## कान का मैल निकालने से वुजू नहीं टूटता

**सवाल:** बा-वुजू आदमी कान की खुजली की वजह से उंगली से खुजली करे और कान का मोम उंगली पर लगे और उंगली को अपनी कमीज़ से साफ करे तो इस सूरात में वुजू टूट जाएगा या नहीं? और कमीज़ पर मोम लगने से वह कमीज़ पाक रहेगी या नहीं?

**जवाब:** कान के मैल से वुजू नहीं टूटता, अलबत्ता कान बहते हों और कान में उंगली डालने से उंगली को पानी लग जाए तो वुजू टूट जाएगा, और वह पानी भी नजिस (नापाक) है।

## बाल बनवाने नाखुन कटवाने से

### वुजू नहीं टूटता

**सवाल:** बा-वुजू (यानी जिसका वुजू हो) शख्स अगर बाल बनवाए या दाढ़ी का खत बनवाए या नाखुन कटवाये तो क्या उसे दोबारा वुजू करना पड़ेगा? मेरा मतलब है बाल बनवाने,



ख़त बनवाने, या नाख़ुन तरशवाने से क्या बुजू टूट जाता है?

जवाब: बाल बनवाने या नाख़ुन उतारने से बुजू नहीं टूटता, इसलिए दोबारा बुजू करने की ज़रूरत नहीं।

## सर या दाढ़ी पर मेहंदी हो तो बुजू का हुक्म

सवाल: कोई शख़्स सर या दाढ़ी पर मेहंदी का इस्तेमाल करता है, मेहंदी सूख जाने के बाद उसको धोकर उतारने से पहले क्या सिर्फ़ बुजू करके नमाज़ अदा कर सकता है या पहले मेहंदी को भी धोकर साफ़ कर ले?

जवाब: बुजू सही होने के लिए मेहंदी का उतारना ज़रूरी है।

## बच्चे को दूध पिलाने से बुजू नहीं टूटता

सवाल: अगर बुजू हो और बच्चे को दूध पिलाया जाए तो क्या बुजू टूट जाएगा?

जवाब: नहीं।

## दाँत में चाँदी भरी होने पर गुस्ल और बुजू

सवाल: एक शख़्स ने अपनी दाढ़ चाँदी से भरवाई है, क्या इस तरह उसका गुस्ल और बुजू हो जाता है जबकि पानी अन्दर तक नहीं जाता?

जवाब: गुस्ल और बुजू हो जाता है।

## नक़ली दाँत के साथ बुजू

सवाल: नक़ली (बनवाये हुए) दाँत लगाकर बुजू हो जाता है या उनका निकालना ज़रूरी है?

जवाब: निकालने की ज़रूरत नहीं उनके साथ वुजू दुरुस्त और ठीक है।

## वुजू के वक़्त औरत के सर का नंगा रहना

सवाल: क्या वुजू करते वक़्त औरत का सर पर दुपट्टा ओढ़ना ज़रूरी है?

जवाब: औरत को जहाँ तक हो सके सर नंगा नहीं करना चाहिए मगर वुजू हो जाएगा।

## सुर्खी, पाउडर, क्रीम लगाकर वुजू करना

सवाल: औरत के लिए नाखुन-पालिश लगाना गुनाह है कि यह लगाने से वुजू नहीं होता, और वुजू नहीं तो नमाज़ भी नहीं, मगर आजकल राईज क्रीम, पाउडर या सुर्खी लगाना कैसा है? क्योंकि उससे नाखुन-पालिश की तरह कोई क़बाहत (बुराई) नहीं कि वुजू का पानी अन्दर न जाए।

जवाब: उनमें अगर कोई नापाक चीज़ मिली हुई न हो तो कोई हर्ज नहीं, मगर नाखुन-पालिश की तरह सुर्खी की तह जम जाती है इसलिए वुजू और गुस्ल के लिए उसको उतारना ज़रूरी है।

## सेंट और वुजू

सवाल: गुस्ल करने के बाद या वुजू करने के बाद नाखुन काटने, शैव बनाने और सेंट लगाने से वुजू तो नहीं टूटता? और नमाज़ हो जाती है या नहीं? सुना है कि सेंट लगाने से वुजू टूट जाता है और नमाज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें स्पिरिट

होती है, और अगर सेंट लगा भी लिया जाए तो क्या वुजू कर लेना ही काफी है या कपड़े भी दूसरे पहने जाएँ और गुस्ल किया जाए? क्योंकि सेंट की खुशबू सारे बदन और कपड़ों में बस जाती है।

**जवाब:** वुजू करने के बाद बाल काटने या नाखुन तराशने से वुजू नहीं टूटता, इसी तरह सेंट लगाने से भी वुजू नहीं टूटता, अलबत्ता सेंट में कोई नापाक चीज़ होती है या नहीं इसकी मुझे कोई तहकीक़ नहीं, मैंने बाज़ मोतबर लोगों से सुना है कि उसमें कोई नापाक चीज़ नहीं होती, अगर यह सही है तो सेंट लगाना जायज़ है।

## वुजू के दरमियान सलाम का जवाब देना

**सवाल:** वुजू करते हुए और खाने के दौरान सलाम का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं? जबकि सलाम करने वाले को मसला मालूम न हो तो वुजू में मसरूफ़ होने की वजह से नाराज़ी और ग़लत-फहमी हो सकती है।

**जवाब:** वुजू के दौरान सलाम और जवाब में कोई हर्ज नहीं, खाने के दौरान सलाम नहीं कहना चाहिए और खाने वाले के ज़िम्मे सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं।

## वुजू करने के बाद मुँह-हाथ साफ़ करना

**सवाल:** क्या वुजू करने के बाद मुँह-हाथ वगैरह पोंछ लेने से वुजू बाकी रहता है या नहीं?

**जवाब:** वुजू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है, इससे वुजू नहीं टूटता।

## पानी के अहकाम

### समुन्दर का पानी नापाक नहीं होता

सवाल: क्या समुन्दर के पानी से वुजू करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है? चूँकि समुन्दर में हर जानवर पानी पीता है, तो वह नापाक हो जाता है या नहीं?

जवाब: समुन्दर का पानी पाक है, जानवरों के पीने या किसी और चीज़ से वह नापाक नहीं होता।

### कुएँ के जरासीम से दूषित पानी का हुकम

सवाल: हमारे मौहल्ले की मस्जिद में कुआँ खोदा गया, यह कुआँ चालीस फ़िट नीचे खोदा गया है। इस कुएँ का पानी हमने लेब वालों को भेजा था ताकि मालूम हो जाए कि आया पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वे कहते हैं कि पानी में जरासीम (कीटाणु) वगैरह हैं, जबकि पानी का न तो रंग बदला है और न ही किसी किस्म की बू वगैरह है। आया हम इस पानी से वुजू कर सकते हैं या नहीं? और पी भी सकते हैं या नहीं?

जवाब: इस पानी के साथ वुजू या गुस्ल करना कपड़े धोना वगैरह बिल्कुल दुरुस्त है, शरअन उसके पीने में भी कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता अगर सेहत के लिए मुज़िर (नुकसानदेह) हो तो न पिया जाए।

## कुएँ में पेशाब गिरने से कुआँ नापाक हो जाता है

**सवाल:** अगर लड़की या लड़के का पेशाब कुएँ में गिर जाए तो इस्लामी फिके की रू से क्या हुक्म है?

**जवाब:** कुआँ नापाक हो जाएगा और उसको पाक करने का तरीका यह है कि उसका पूरा पानी निकाल दिया जाए। पानी निकाल देने से डोल, रस्सी, कुएँ का गारा और कुएँ की दीवारें सब पाक हो जाएँगे।

## गटर लाईन की मिलावट और बदबू वाले

### पानी का इस्तेमाल

**सवाल:** बाज़ मर्तबा हम किसी मस्जिद में जाते हैं और वुजू के लिये नलका खोलते हैं तो शुरू में बदबूदार पानी आता है, पानी बज़ाहिर साफ़ नज़र आता है और कोई रंग की मिलावट नहीं होती, लेकिन पानी में बदबू-सी महसूस होती है। ऐसी सूरत में क्या इस पानी से वुजू किया जा सकता है? या यह पानी नापाक होगा और इस पानी से वुजू नहीं होगा?

**जवाब:** नलों के ज़रिये जो बदबूदार पानी आता है और फिर साफ़ आने लगता है, इस बारे में जब तक बदबूदार पानी की हकीकत मालूम न हो या रंग और बू से नापाकी का पता न चलता हो, उस वक़्त तक उसके नापाक होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पानी का बदबूदार होना और चीज़ है

और नापाक होना दूसरी चीज़ है, और अगर तहकीक़ हो जाए कि यह पानी गटर का है तो नल खोल देने बाद वह “जारी पानी” के हुक्म में हो जाएगा और पाक हो जाएगा। बस बदबूदार पानी निकाल दिया जाए बाद में आने वाले साफ़ पानी से वुजू और गुस्ल सही है।

## नापाक गन्दा पानी साफ़ सुथरा बना देने से पाक नहीं होता

सवाल: आजकल साइन्सदानों (वैज्ञानिकों) ने ऐसा आला (यन्त्र) ईजाद किया है कि गन्दी नालियों के पानी को साफ़ व शफ़्फ़ाफ़ बना देते हैं। बज़ाहिर उसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। अब क्या यह पानी पलीद (नापाक) होगा या नहीं?

जवाब: साफ़ हो जाएगा पाक नहीं होगा, साफ़ और पाक में बड़ा फ़र्क़ है।

## नापाक छींटों वाले लोटे को पाक करना

सवाल: अगर लोटे में पानी रखा हुआ हो और उस पर किसी ने छींटे मार दिए हों तो पाक करने के लिए अगर तीन मर्तबा लोटे की टोंटी से पानी गिरा दिया जाए तो पानी पाक हो जाएगा या पानी फेंक दिया जाए?

जवाब: सिर्फ़ छींटे पड़ने से तो पानी नापाक नहीं होता, अलबत्ता अगर छींटे नापाक हों तो पानी नापाक हो जाएगा और उसके पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसके ऊपर से और पानी डाल दिया जाए यहाँ तक कि टोंटी और किनारों से

पानी बह निकले, बस पाक हो जाएगा।

## बारिश के पानी के छींटे

**सवाल:** बारिश का वह पानी जो सड़कों पर जमा हो जाता है, क्या यह नजासते गलीज़ा है या ख़फीफ़ा? अगर नमाज़ी के कपड़ों पर लग जाए तो कितनी मिक्दार (मात्रा) के मौजूद होते हुए नमाज़ी नमाज़ पढ़ सकता है?

**जवाब:** बारिश का पानी जो सड़कों पर होता है उसके छींटे पड़ जाएँ तो उनको धो लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के वक़्त उन कपड़ों में नमाज़ पढ़ने को जायज़ लिखा है।

## टंकी में परिन्दा गिरकर फूल जाए तो कितने दिन की नमाज़ें लौटाई जाएँ

**सवाल:** पानी की टंकी में अगर परिन्दा गिरकर मर जाए और फूल जाए या फट जाए और उसके गिरने का वक़्त भी मालूम न हो तो कितने दिन की नमाज़ें लौटाई जाएँगी?

**जवाब:** इसमें दो क़ौल हैं- एक यह कि अगर जानवर फूला फटा हुआ पाया जाए तो उसको तीन दिन का समझ जाएगा और तीन दिन की नमाज़ें लौटाई जाएँगी। दूसरा क़ौल यह है कि जिस वक़्त इल्म हुआ उसी वक़्त से नजासत का हुक्म किया जाएगा, पहले क़ौल में एहतियात है और दूसरे में आसानी है।

## नापाक कुएँ का पानी इस्तेमाल करना

सवाल: एक कुएँ में काफी वक्त पहले खिन्जीर (सुअर) गिरकर मर गया, किसी ने भी पानी और खिन्जीर नहीं निकाला, लेकिन अब कुछ मज़दूर कच्ची ईंटें बनाते हैं और करीब होने की वजह से उस कुएँ का पानी इस्तेमाल करते हैं। क्या यह मिट्टी पाक होगी या नहीं? और इस पानी की वजह से जो जिस्म और कपड़ों पर छींटे लग जाते हैं क्या बगैर धोए और नहाए नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाब: यह कुआँ जब तक पाक नहीं किया जाता उसका पानी नापाक है, उससे जो कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं वे भी नापाक हैं। उसके छींटे धोए बगैर नमाज़ दुरुस्त नहीं। उसे पाक करने का तरीका यह है कि कुएँ से खिन्जीर की हड्डियाँ वगैरह निकाल दी जाएँ उसके बाद कुएँ का सारा पानी निकाल दिया जाए। अगर सारा पानी निकालना मुश्किल है तो दो सौ डोल से तीन सौ डोल तक पानी निकाल देने से कुआँ पाक हो जाएगा।



## गुस्ल के मसाईल

### गुस्ल का तरीका

सवाल: मौलाना साहिब मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे मजहब में गुस्ल करने का तरीका क्या है? यह एक मसला है जिससे हर मुसलमान औरत का वाकिफ़ होना ज़रूरी है, लेकिन अफ़सोस है कि बहुत ही कम मुसलमान ऐसे हैं जो इसकी अहमियत और सही तरीके से वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने कॉलम में इस मसले पर रोशनी डालें। जवाब देते वक़्त इन बातों की भी वज़ाहत कर दें- क्या गुस्ल करते वक़्त पहले वुजू करना ज़रूरी है? दूसरे यह कि गुस्ल करते वक़्त क्या नाफ़ के नीचे कपड़ा बाँधना भी ज़रूरी है? और तीसरे यह कि गुस्ल करते वक़्त कौनसी दुआएँ पढ़ते हैं? क्या पाँचों कलिमे पढ़ना ज़रूरी हैं या सिर्फ़ दुरूद शरीफ़ पढ़कर मक़सद पूरा हो जाता है और गुस्ल लेने का सही तरीका इस्लाम में क्या है?

जवाब: गुस्ल का तरीका यह है कि पहले हाथ धोये और इस्तिन्जा करे, फिर बदन पर किसी जगह नजासत (नापाकी और गंदगी) लगी हो तो उसे धो डाले, फिर वुजू करे, फिर तमाम बदन को थोड़ा सा पानी डालकर मले, फिर सारे बदन पर तीन मर्तबा पानी बहाए।

गुस्ल में तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं-

(1) कुल्ली करना।

(2) नाक में पानी डालना।

(3) पूरे बदन पर पानी बहाना। बदन का अगर एक बाल भी खुशक रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और आदमी बदस्तूर नापाक रहेगा। नाक कान के सुराखों में पानी पहुँचाना भी फर्ज है। अंगूठी छल्ला अगर तंग हो तो उसको हिलाकर उसके नीचे पानी पहुँचाना भी लाज़िम है, वरना गुस्ल न होगा। बाज़ बहनें नाखुन-पालिश वगैरह ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुँचने नहीं देतीं, गुस्ल में उन चीज़ों को उतारकर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। कई बार बेख़्याली में नाखुनों के अन्दर आटा लगा रहता है, उसको निकालना भी ज़रूरी है।

ग़र्ज़ कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीज़ें पानी के बदन तक पहुँचने में रुकावट हैं उनको हटाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर गुंधे हों तो बालों को खोलकर उनका तर करना ज़रूरी नहीं बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुँचा लेना काफी है। लेकिन अगर बाल गुंधे हुए न हों (आजकल उमूमन यही होता है) तो सारे बालों को अच्छी तरह तर करना भी ज़रूरी है। अब आपके सवालों का जवाब लिखता हूँ।

☆ गुस्ल से पहले वुजू करना सुन्नत है, अगर न किया तब भी गुस्ल हो जाएगा।

☆ कपड़ा बाँधना ज़रूरी नहीं, मुस्तहब है।

☆ गुस्ल के वक़्त कोई दुआ, कोई कलिमा पढ़ना ज़रूरी

नहीं, न दुरूद शरीफ़ ज़रूरी है। बल्कि अगर जिस्म पर कोई कपड़ा न हो तो उस हालत में दुआ कलिमा और दुरूद शरीफ़ जायज़ ही नहीं, नंगा होने की हालत में ख़ामोश रहने का हुक्म है, उस वक़्त कलिमा पढ़ना नावाकिफ़ औरतों की ईजाद (चलाई हुई बात) है।

## मस्नून वुजू के बाद गुस्ल

सवाल: जैसा कि मालूम है कि गुस्ल में तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं:

(1) कुल्ली करना, (2) नाक में पानी डालना और (3) सारे बदन पर पानी डालना। और गुस्ल से पहले वुजू सुन्नत है। मौलाना साहिब! मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर किसी आदमी ने गुस्ल से पहले वुजू कर लिया और उसमें कुल्ली भी की और नाक में पानी भी डाला लेकिन वुजू के बाद गुस्ल से पहले न दोबारा कुल्ली की और न नाक में पानी डाला जो कि फ़र्ज़ है और उसने सोचा कि यह तो मैंने वुजू में किया है और सारे बदन पर पानी डाला तो क्या उसका गुस्ल सही है?

जवाब: जब गुस्ल से पहले वुजू किया और वुजू में कुल्ली भी की और नाक में पानी भी डाला तो वुजू के बाद दोबारा कुल्ली करने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, गुस्ल सही हो गया।

## गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी

### डालना पाक होने के लिए शर्त है

सवाल: जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ हो वह गुस्ल नहीं

करता सिर्फ नहाने पर इक्तिफा (बस) करता है, क्या वह नहाने से पाक हो जाता है या नहीं?

जवाब: गुस्ल नहाने ही को कहते हैं, अलबत्ता कुल्ली करना और नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना पाक होने के लिए शर्त है।

## गुस्ल के आखिर में कुल्ली और गरारे

### करना याद आना

सवाल: कोई शख्स हालते जनाबत (नापाकी की हालत) में है और वह गुस्ल करता है, जब वह तमाम बदन पर पानी डालता है तो बाद में उसे कुल्ली और गरारे याद आते हैं और उसी वक़्त वह कुल्ली और गरारे करता है, उस वक़्त उस शख्स का गुस्ल मुकम्मल हो जाता है या दोबारा पानी डालना पड़ेगा?

जवाब: गुस्ल हो गया दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं।

### ख़िलाफ़े सुन्नत गुस्ल से पाकी

सवाल: गुस्ल अगर सुन्नत के मुताबिक़ अदा न किया जाए तो क्या उससे नापाकी दूर नहीं होती?

जवाब: अगर कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाला और पूरे बदन पर पानी बहा लिया तो तहारत हासिल हो गई, क्योंकि गुस्ल में यही तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं।

## रमज़ान में ग़रारे और नाक में पानी

### डाले बग़ैर गुस्ल करना

**सवाल:** रमज़ान मुबारक के महीने में दिन को किसी को एहतिलाम (स्वप्नदोष) हुआ, रोज़े की वजह से नाक में ऊपर तक पानी नहीं डाल सकता और न ग़रारा कर सकता है। बाद इफ़्तारी के ग़रारा करना और नाक में डालना फ़र्ज़ है, वाजिब या मुस्तहब है? अगर किसी ने इफ़्तारी के बाद ग़रारा और नाक में पानी नहीं डाला तो क्या उसका गुस्ल जो दिन में किया था काफ़ी है?

**जवाब:** गुस्ल सही हो गया, इफ़्तारी के बाद ग़रारा करने या नाक में पानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं।

### गुस्ल खड़े होकर या बैठकर, खुले मैदान

#### में गुस्ल

**सवाल:** मर्दों को गुस्ल खड़े होकर करना चाहिए या बैठकर? दूसरी बात यह कि नंगे होकर या कुछ पहनकर करना चाहिए, मसलन् धोती, पाजामा। क्या मर्दों का खुले मैदानों में, सेहन में, सड़कों पर नहाना सही या जायज़ है जबकि वहाँ से नामेहरम औरतें और छोटे बड़े बच्चे और दूसरे लोग गुज़रते हों?

**जवाब:** पर्दे की जगह कपड़े उतार कर गुस्ल करना जायज़ है, और इस सूरत में बैठकर गुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है। मर्द

अगर खुले मैदान में नाफ़ से घुटनों तक कपड़ा बाँधकर गुस्ल करे तो जायज़ है और नाफ़ से घुटनों तक सतर खोलना हराम है।

## जाँगिया पहनकर गुस्ल और वुजू करना

**सवाल:** यहाँ फाँसी वार्ड में बल्कि पूरी जेल के अन्दर हम कैदी लोग गुस्ल करने के लिए अन्डर-वियर या चड्डी पहनते हैं। क्या गुस्ल हो जाएगा अगरचे नापाक भी हो? अगर गुस्ल होता है तो वुजू भी हो गया या नहीं?

**जवाब:** अगर नेकर जाँगिया पहनकर कपड़े के नीचे पानी पहुँच जाए और बदन का पोशीदा (छुपा हुआ) हिस्सा धुल जाए तो गुस्ल सही होगा, गुस्ल में वुजू खुद ही हो जाता है, गुस्ल के बाद जब तक कि कम से कम दो रकअत नमाज़ न पढ़ ली जाए या कोई दूसरी ऐसी इबादत अदा न कर ली जाए जिसमें वुजू शर्त है, दोबारा वुजू करना मक्रूह है।

## गहरे और जारी पानी में गोता लगाने से पाकी

**सवाल:** मेरे एक दोस्त ने कहा है कि अगर पानी गहरा हो और जारी हो, यानी बहता हुआ हो, उसमें एक मर्तबा डुबकी लगाने से जिस्म पाक हो जाता है। क्या यह सही है?

**जवाब:** सही है, मगर कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भी फ़र्ज़ है। अगर ये दोनों फ़र्ज़ अदा कर ले तो पानी में डुबकी लगाने से गुस्ल हो जाएगा।

## हैज़ के बाद पाक होने के लिए क्या करें?

सवाल: हैज़ (माहवारी) के बाद पाक होने के लिए क्या-क्या करना चाहिए?

जवाब: बस नजासत (नापाकी) से सफ़ाई हासिल करना और गुस्ल कर लेना।

## औरत को तमाम बालों का धोना ज़रूरी है

सवाल: क्या मियाँ-बीवी वाले हुकूक अदा करने (सोहबत करने) के बाद पाक होने के लिए गुस्ल में सर के बाल धोना भी शामिल है या बाल गीले किए बग़ैर भी गुस्ल करने से औरत पाक हो जाती है?

जवाब: सर के बाल धोना फ़र्ज़ है उसके बग़ैर गुस्ल नहीं होगा, बल्कि अगर एक बाल भी सूखा रह गया तो गुस्ल अदा नहीं हुआ। पुराने ज़माने में औरतें सर गूंध लिया करती थीं, ऐसी सूरत में जिसके बाल गूंधे हुए हों उसके लिए यह हुक्म है कि अगर वह अपनी मीढ़ियाँ न खोले और पानी बालों की जड़ों तक पहुँचा ले तो गुस्ल हो जाएगा लेकिन अगर सर के बाल खुले हुए हों जैसा कि आजकल आम तौर पर औरतें रखती हैं तो पूरे बालों का तर करना गुस्ल का फ़र्ज़ है उसके बग़ैर औरत पाक नहीं होगी।

## पीतल के दाँत के साथ गुस्ल और वुजू सही है

सवाल: अदब के साथ गुज़ारिश है कि चूँकि मेरे सामने एक मसला पेचीदा ज़ेरे ग़ौर है, वह यह है कि मेरे सामने वाले

दो चौड़े दाँतों में से एक दाँत आधा टूटा हुआ था और आधा बाकी था, इस आधे दाँत के ऊपर मैंने पीतल का कवर चढ़ाया हुआ है, जो दूसरे दाँतों की तरह मज़बूत है और अलग करने से जुदा नहीं होता, लेकिन बाज़ हज़रात यह कहते हैं कि तुम्हारे दाँत तक पानी नहीं पहुँचता है लिहाज़ा तुम्हारा वुजू सही नहीं होता है और इसी लिए नमाज़ भी सही नहीं होती।

जवाब: आपका गुस्ल और वुजू सही है।

### चाँदी से दाढ़ भरवाने वाले का गुस्ल

सवाल: एक शख्स ने अपनी दाढ़ की चाँदी से भराई करवाई है क्या इस तरह उसका गुस्ल और वुजू हो जाता है? जबकि पानी अन्दर तक नहीं जाता।

जवाब: गुस्ल और वुजू हो जाता है।

### दाँत भरवाने से सही गुस्ल में रुकावट नहीं

सवाल: मेरे एक दाँत में सुराख है, जिसकी वजह से दाँत दर्द करता है और मुँह से बदबू भी आती है। मैं उसको डाक्टर से भरवाना चाहता हूँ लेकिन बाज़ लोगों की राय है कि ऐसा करने से गुस्ल नहीं होता।

जवाब: बाज़ लोगों की यह राय सही नहीं, दाँत भरवा लेने के बाद जब मसाला दाँत के साथ फिट हो जाए तो उसका हुक्म अजनबी चीज़ का नहीं रहता, इसलिए वह गुस्ल के सही होने से रुकावट नहीं।



## दाँतों पर किसी धातु का खोल हो तो

### गुस्ल का जवाज़

सवाल: “आपके मसाईल और उनका हल” में मुझे आपके दिए हुए एक सवाल के जवाब पर एतिराज़ है, सवाल इस प्रकार है।

(सवाल) दाँतों के ऊपर सोना या उसके हम-शकल धातु से बनाए हुए कवर चढ़ाना जायज़ है या नहीं? और ऐसी हालत में उसका बुजू और गुस्ल हो जाता है या नहीं?

(जवाब) जायज़ है और गुस्ल हो जाता है।

जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो आपका जवाब गुस्ले जनाबत (पाक होने के लिये गुस्ल करने) के लिए ग़लत है, हाँ आम गुस्ल हो सकता है जबकि गुस्ले जनाबत के लिए हुक्म यह है कि होंठों से हलक़ तक हर ज़र्रे-ज़र्रे पर पानी का पहुँचाना फ़र्ज़ है। इतनी हद तक कि दाँतों में कोई ऐसी सख़्त चीज़ फंसी हुई है जिसकी वजह से उस जगह पानी न पहुँच सका हो तो गुस्ले जनाबत में ऐसी चीज़ को दाँतों से छुड़ाकर पानी बहाया जाए वरना दूसरी सूरत में गुस्ल नहीं होता। मगर आपने दाँतों के ऊपर तो पूरा कवर चढ़ाने की इजाज़त दे दी है और सोने का कवर चढ़ने की सूरत में पानी उस दाँत तक नहीं पहुँच सकता और पानी न पहुँचने की सूरत में गुस्ले जनाबत (नापाकी से पाक होने के लिये नहाने में) अदा न होगा और अगर गुस्ल अदा न हुआ तो नमाज़ अकारत हो

जाती है।

**जवाब:** आपने सही लिखा है कि अगर दाँतों के अन्दर कोई चीज़ ऐसी फंसी हुई हो जो पानी के पहुँचने में रुकावट हो तो गुस्ले जनाबत के लिए उसका निकालना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। मगर यह हुक्म उसी वक़्त है जबकि उसका निकालना बग़ैर मशक्कत के मुम्किन भी हो, लेकिन जो चीज़ इस तरह फिट हो जाए कि उसका निकालना मुम्किन न रहे, जैसे दाँतों पर सोने-चाँदी का खोल (कवच) इस तरह जमा दिया जाए कि वह उतर न सके तो उसके ज़ाहिरी हिस्से को दाँत का हुक्म दिया जाएगा और उसको उतारे बग़ैर गुस्ल जायज़ होगा।

**मेहंदी के रंग के बावजूद गुस्ल हो जाता है**

**सवाल:** हमारी बुजुर्ग औरतों का यह फ़रमाना है कि अगर दिनों के दौरान मेहंदी लगाई जाए तो जब तक हिना का रंग मुकम्मल तौर पर उतर न जाए पाकी का गुस्ल नहीं होगा।

**जवाब:** औरतों का यह मसला बिल्कुल ग़लत है, गुस्ल हो जाएगा गुस्ल के सही होने के लिए मेहंदी के रंग का उतारना कोई शर्त नहीं।

**अटेच बाथरूम में गुस्ल से पाकी**

**सवाल:** आजकल एक फ़ैशन हो गया है कि मकानों में “अटेच बाथरूम” बनाए जाते हैं यानी यह कि बैतुलख़ला और गुस्लख़ाना एक साथ होता है, तो क्या ऐसी जगह गुस्ल करने

से इनसान पाक हो जाता है?

**जवाब:** जिस जगह गुस्ल कर रहा है अगर वह पाक है और नापाक जगह से छींटे भी नहीं आते तो पाक न होने की क्या वजह है? अगर वह जगह मश्कूक हो (यानी उसके नापाक होने का शक हो) तो पानी बहाकर उसको पाक कर लिया जाए फिर गुस्ल किया जाए।

## ट्रेन में गुस्ल कैसे करें?

**सवाल:** गुज़ारिश है कि कराची से लाहौर बज़रिये ट्रेन आते हुए रात गुस्ल की हाजत पेश आ गई जिससे कपड़े भी ख़राब हो गए। बराहे करम तहरीर फ़रमाएँ कि बक़िया सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ की अदायेगी की क्या सूरत हो सकती है? ट्रेन में पानी वुजू की हद तक तो मौजूद होता है गुस्ल के लिए न तो पानी मयस्सर होता है और न गुस्ल करना मुम्किन ही होता है।

**जवाब:** उमूमन ट्रेन में इतना पानी मौजूद होता है लेकिन मान लीजिये वुजू के लिए पानी हो मगर गुस्ल के लिए बक़द्रे किफ़ायत पानी न हो तो गुस्ल के लिए तयम्मूम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए निम्न शर्तें हैं।

1. ट्रेन के किसी डब्बे में भी इतना पानी न हो जिससे गुस्ल के फ़राईज़ अदा हो सकें।
2. रास्ते में एक मील शरई के अन्दर स्टेशन न हो जहाँ पानी का मौजूद होना मालूम हो।
3. ट्रेन के तख़्तों पर इतनी मिट्टी जमी हुई हो जिससे

तयम्मूम हो सके।

अगर इन शर्तों में से कोई शर्त न पाई जाए तो जिस तरह बन पड़े उस वक़्त तो नमाज़ पढ़ ले मगर बाद में गुस्ल करके नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है।

## ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल

### करना मक्रूह है

**सवाल:** पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ग़लत है, चाहे वह वुजू में क्यों न हो, तो जनाब आप यह बताएँ कि क्या बड़े साईज़ की चार बालटी पानी से गुस्ल करना कुरआन व हदीस की रोशनी में दुरुस्त है? जबकि वही शख्स एक बालटी पानी से अच्छी तरह गुस्ल कर सकता है?

**जवाब:** पाक होने के लिए तो तक़रीबन चार सेर पानी काफी है, जिस्म की सफ़ाई या ठंडक हासिल करने की नीयत से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल में भी हर्ज नहीं, बिना ज़रूरत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना मक्रूह (बुरा) है।

## पानी में सोना डालकर नहाना

**सवाल:** मेरे बड़े भाई घर में आकर सोने की अंगूठी पानी में डाल कर नहा लिए। वजह पूछने पर मालूम हुआ कि उनके ऊपर छिपकली गिर गई थी उनको मश्विरा दिया गया कि आप जाकर सोने की कोई चीज़ पानी में डालकर नहा लें, वरना आप पाक नहीं होंगे। मैं आप से यह मालूम करना चाहता हूँ कि जब मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है तो

आप यह वज़ाहत कर दें कि सोने के पानी से नहाना दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** पानी में सोने की चीज़ डालकर नहाने में तो गुनाह नहीं, मगर उनको किसी ने मसला ग़लत बताया कि जब तक सोने की चीज़ पानी में डालकर न नहाएँ पाक न होंगे।

## क़ज़ा-ए-हाजत और गुस्ल के वक़्त

### किस तरफ़ मुँह करे

**सवाल:** गुस्ल करते वक़्त कौनसी दिशा होनी चाहिए? आजकल गुस्लख़ाने और बैतुलख़ला (लैट्रीन) एक साथ ही होते हैं, ऐसे में गुस्ल के लिए किस तरह दिशा का अन्दाज़ा लगाया जाएगा, और बैतुलख़ला के लिए कौनसी दिशा मुक़रर है?

**जवाब:** क़ज़ा-ए-हाजत (पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने) के वक़्त न तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह होना चाहिए और न क़िब्ले की तरफ़ पीठ होनी चाहिए। क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मक्रूहे तहरीमी है। गुस्ल की हालत में अगर गुस्ल बिल्कुल नंगा होकर किया जा रहा है तो उस सूरत में क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मक्रूहे तन्ज़ीही है, बल्कि रुख़ उत्तर या दक्षिण की तरफ़ होना चाहिए। और अगर सतर ढाँक कर गुस्ल किया जा रहा है तो उस सूरत में किसी भी तरफ़ रुख़ करके गुस्ल किया जा सकता है।

## नापाकी की हालत में वुजू करके खाना बेहतर है

**सवाल:** जनाबत (जब गुस्ल वाजिब हो) की हालत में क्या खाना पीना और हलाल जानवर जिबह करना दुरुस्त है?

**जवाब:** जनाबत की हालत में खाना पीना और दूसरे ऐसे आमाल जिनमें तहारत शर्त नहीं जायज़ है, मगर खाने पीने से पहले इस्तिन्जा और वुजू कर लेना अच्छा है। बुखारी शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है-

“नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जनाबत (नहाना वाजिब होने) की हालत में जब खाने या सोने का इरादा फ़रमाते तो वुजू फ़रमा लिया करते थे।” (मिशकात पेज 49)

## नापाकी की हालत में खाने पीने की इजाज़त

**सवाल:** काफी दिनों से सुनते आए हैं कि एहतिलाम (सोने की हालत में नहाने की ज़रूरत पेश आने) के बाद यानी जनाबत की हालत में गुस्ल करने से पहले खाना पीना हराम है, बाकी जब कोई मजबूरी हो यानी पानी वगैरह गुस्ल के लिए न हो तो उस हालत में या ज़्यादा भूख या प्यास लगने की हालत में आदमी वुजू करे जिसमें गरारे करे और नाक में पानी पहुँचाए, फिर कुछ खा-पी सकता है?

**जवाब:** जनाबत की हालत में खाने पीने की इजाज़त है, अलबत्ता बगैर कुल्ली किए पानी पीना मक्रूहे तन्ज़ीही है, और

इसमें सिर्फ पहला घूँट मक्खूह है, क्योंकि यह पानी मुँह की जनाबत (नापाकी) दूर करने में इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह हाथ धोने से पहले कुछ खाना पीना मक्खूहे तन्जीही है।

## गुस्ल की हाजत हो तो रोज़ा रखना

### और खाना पीना

सवाल: अगर आदमी को गुस्ल की हाजत हो औ उसे रोज़ा भी रखना हो तो क्या गुस्ल से पहले रोज़ा रखना जायज़ है? और ऐसी हालत में खाना पीना मक्खूह तो नहीं?

जवाब: हाथ-मुँह धोकर खा पी ले और रोज़ा रख ले, गुस्ल बाद में कर ले, जनाबत (नापाकी) की हालत में खाना पीना मक्खूह नहीं।

### गुस्ले जनाबत में देरी करना

सवाल: मैंने आपके कॉलम में पढ़ा था कि हालते जनाबत (नापाकी की हालत) में खाने पीने की इजाज़त है। मालूम यह करना है कि हालते जनाबत में कितनी देर तक खाने पीने की इजाज़त है? और हालते जनाबत में कितनी देर तक रह सकते हैं?

जवाब: जनाबत (नापाकी की हालत, जब नहाना वाजिब हो) की हालत में हाथ-मुँह धोकर खाना पीना जायज़ है, लेकिन गुस्ल में इतनी ताखीर (देरी) करना कि नमाज़ फ़ोत हो जाए सख़्त गुनाह है।

## गुस्ल न करने में दफ़्तरी मशगूलियत का

### उज़्र काबिले क़बूल नहीं

**सवाल:** एक शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है लेकिन दफ़तर को भी देर हो रही है, ऐसी सूरत में काम के वक़्तों के दौरान तयम्मुम करके नमाज़ें पढ़ना जायज़ है या उस वक़्त तक नमाज़ छोड़ता रहे जब तक गुस्ल नहीं कर लेता?

**जवाब:** शहर में पानी के मौजूद होते हुए तयम्मुम कैसे किया जा सकता है? और यह उज़्र कि दफ़तर जाने में देर हो रही है, सुने जाने के लायक नहीं, जब उस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है तो उसको फ़जर की नमाज़ से पहले उठकर गुस्ल का एहतिमाम करना चाहिए। गुस्ल में इतनी देर करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाए हराम और सख़्त गुनाह है।

### गुस्ल और वुजू में शक की कसरत

**सवाल:** गुस्ल और वुजू करते हुए पानी काफी बहाता हूँ और गुस्ल और वुजू से फ़राग़त के बाद बेइन्तिहा शक करता हूँ कि कहीं बाल बराबर जगह सूखी न रह गई हो। आप कुछ इस शक के बारे में हल बतला दें।

**जवाब:** गुस्ल और वुजू सुन्नत के मुताबिक़ करें। यानी तीन-तीन बार आज़ा (बदन के अंगों) पर पानी बहा लें, उसके बाद शक करना ग़लत है चाहे कितने ही वस्वसे (ख़्यालात) आएँ कि कोई बाल सूखा रह गया होगा, मगर उसको शैतानी ख़्याल समझें और उसकी कोई परवाह न करें।



## गुस्ले जनाबत के बाद पहले वाले

### कपड़े पहनना

सवाल: यह बताएँ कि अगर एक शख्स को गुस्ल की हाजत हो जाए या उस पर गुस्ले जनाबत फर्ज हो जाए तो क्या वह गुस्ल करके दोबारा वही कपड़े पहन सकता है जबकि वे कपड़े मसलन् सूईटर या कमीज़ वगैरह हों, जिन पर कोई नजासत (नापाकी) न लगी हो।

जवाब: बिला शुब्हा पहन सकता है।

### नापाकी में नाखून और बाल काटना मक्रूह है

सवाल: यह भी वज़ाहत फरमा दें कि नाखून और बाल नापाकी की हालत में काट सकते हैं या नहीं? या उसमें वक़्त जगह की कोई क़ैद है?

जवाब: नापाकी की हालत में नाखून और बाल काटना मक्रूह है, लेकिन अगर नाखून या बाल धोने के बाद काटे तो मक्रूह भी नहीं।

## नापाकी में इस्तेमाल किए गये कपड़ों

### बरतनों वगैरह का हुक्म

सवाल: अगर एक नापाक आदमी किसी चीज़ का इस्तेमाल करे जैसे बिस्तरों, कपड़ों, बरतनों का, तो ये चीज़ें नापाक हो जाती हैं या नहीं? क्योंकि रात को मुझे एहतिलाम

हो गया (यानी सोते में नहाने की ज़रूरत पेश आ गयी), मैंने दूसरी दोपहर को गुस्ल किया मगर रात में उसी वक़्त गंदगी साफ़ कर ली थी।

जवाब: नापाकी की हालत में खाना पीना और दूसरे काम जायज़ हैं और जुनुबी (नापाक) आदमी के इस्तेमाल करने से ये चीज़ें नापाक नहीं होतीं, लेकिन गुस्ल में इतनी ताख़ीर (देरी) करना कि नमाज़ का वक़्त क़ज़ा हो जाए गुनाह और सख़्त हराम है।

## जनाबत की हालत में मिलना जुलना और

### सलाम का जवाब

सवाल: आदमी हालते जनाबत में किसी से मिल सकता है और सलाम का जवाब दे सकता है या सलाम कर सकता है कि नहीं?

जवाब: जनाबत (यानी नापाकी) की हालत में किसी से मिलना, सलाम कहना, सलाम का जवाब देना और खाना पीना जायज़ है।

## नंगे बदन गुस्ल करने वाला बात कर ले तो

### गुस्ल जायज़ है

सवाल: अगर नंगे बदन गुस्ल करते वक़्त किसी से बातचीत कर ली जाए तो गुस्ल दोबारा करना होगा या नहीं?

जवाब: नंगा होने की हालत में बातचीत नहीं करनी

चाहिए लेकिन गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं।

## नाफ़ के नीचे के बाल कहाँ तक मूँडने चाहिएँ

सवाल: बाल ज़ेरे नाफ़ कहाँ तक मूँडने चाहिएँ उनकी हद कहाँ से कहाँ तक है?

जवाब: नाफ़ से लेकर रानों की जड़ों तक और पेशाब पाख़ाने की जगह के इर्द-गिर्द जहाँ तक मुष्किन हो।

## ग़ैर-ज़रूरी बाल कितने समय बाद साफ़ करें

सवाल: आपसे मालूम यह करना है कि ग़ैर-ज़रूरी बाल कितने दिनों के बाद साफ़ करने चाहिएँ?

जवाब: ग़ैर-ज़रूरी बालों का हर हफ़्ते साफ़ करना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है, चालीस दिन तक सफ़ाई को टालने की इजाज़त है, उसके बाद गुनाह है, नमाज़ इस हालत में भी हो जाती है।

## हर हफ़्ते सफ़ाई अफ़ज़ल है

सवाल: नाफ़ के नीचे के बालों की सीमा और हद कहाँ से कहाँ तक है?

जवाब: नाफ़ से लेकर रानों की जड़ तक और शर्मगाह (आगे, पीछे) के इर्द-गिर्द जहाँ तक मुष्किन हो सफ़ाई करना ज़रूरी है। हर हफ़्ते सफ़ाई अफ़ज़ल (बेहतर) है, चालीस दिन तक छोड़ने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा देर करना मना (वर्जित) है।

## सीने के बाल ब्लेड से साफ़ करना

**सवाल:** सीने के बाल ब्लेड या उस्तरे से साफ़ किए जा सकते हैं या नहीं?

**जवाब:** जी हाँ जायज़ है।

## पिंडलियों और रानों के बाल खुद साफ़

### करना या नाई से साफ़ करवाना

**सवाल:** टाँगों यानी रानों और पिंडलियों के बाल ब्लेड या उस्तरे से बनाए या नाई से बनवाये जा सकते हैं या नहीं?

**जवाब:** साफ़ करने में तो हर्ज नहीं लेकिन रानें सतर (छुपाने की जगह) हैं, नाई से साफ़ कराना जायज़ नहीं।

## कटे हुए बाल पाक होते हैं

**सवाल:** सुना है कि जिस्म के बाल जब तक जिस्म के ऊपर होते हैं तो पाक होते हैं, लेकिन तरश्वा यानी कटवा दिए जाते हैं तो नापाक हो जाते हैं। अगर यह सही है तो फिर बाल कटवा कर बगैर नहाये नमाज़ पढ़ ले कि जमाअत की नमाज़ जा रही है तो क्या ऐसी सूरत में नमाज़ हो जाएगी?

**जवाब:** बाल कटवाने से न गुस्ल वाजिब होता है न वुजू टूटता है कटे हुए बाल भी पाक होते हैं, आपने ग़लत सुना है।

## किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है और किन से नहीं

### सोने में नापाक हो जाने के बाद गुस्ल

**सवाल:** अगर कोई शख्स सोते में नापाक हो जाए तो क्या उस पर गुस्ल ज़रूरी है? और क्या वह उस हालत में खा-पी सकता है? अगर किसी चीज़ को हाथ लगा दे तो क्या वह नापाक हो जाएगी?

**जवाब:** सोते में आदमी नापाक हो जाए तो उससे गुस्ल फर्ज़ हो जाता है, मगर उससे रोज़ा नहीं टूटता। जब गुस्ल फर्ज़ हो तो उस हालत में खाना पीना जायज़ है और हाथ साफ़ करके किसी चीज़ को हाथ लगाया जाए तो वह नापाक नहीं होती।

### हमबिस्तरी के बाद गुस्ले जनाबत मर्द

#### औरत दोनों पर वाजिब है

**सवाल:** हमबिस्तरी (सोहबत व संभोग) के बाद क्या औरत पर भी गुस्ले जनाबत (पाक होने के लिये नहाना) वाजिब हो जाता है?

**जवाब:** मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब है।

## ख़्वाब में खुद को नापाक देखना

सवाल: ख़्वाब में अगर कोई अपने आपको नापाक हालत में देखे जैसे हैज़ (माहवारी) वग़ैरह, तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है या सिर्फ़ वुजू से नमाज़ हो जाएगी?

जवाब: सिर्फ़ ख़्वाब में अपने आपको नापाक देखने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, जब तक जिस्म पर कोई नजासत (नापाकी) ज़ाहिर न हो।

## अनीमा के अमल से गुस्ल वाजिब नहीं

सवाल: पित्ते के ऐक्से के लिए मरीज़ का ऐक्से से पहले अनीमा किया जाता है, यानी पाख़ाने की जगह से एक ख़ास नुलकी के ज़रिये मरीज़ की आँतों में पानी पहुँचाया जाता है। पानी इतना पहुँचाया जाता है कि आँतें ख़ूब भर जाती हैं, और पानी उसी दौरान वापस आने लगता है, जिससे मरीज़ की टाँगें कपड़े वग़ैरह भीग जाते हैं। इस हालत में मरीज़ को तहारत-ख़ाने पहुँचाया जाता है जहाँ मरीज़ को पहुँचाया हुआ पानी पाख़ाने की जगह के ज़रिये ख़ारिज हो जाता है, शायद इस तरीक़े का मक़सद आँतों की सफ़ाई हो।

(क) क्या इस सूरत में गुस्ल वाजिब है?

(ख) अगर गुस्ल वाजिब नहीं तो टाँगें वग़ैरह धोना और कपड़े तब्दील करना ज़रूरी है या नहीं?

(ग) अगर गुस्ल वाजिब नहीं है तो क्या इस हालत में नमाज़ हो जाएगी?

**जवाब:** अनीमा के अमल से गुस्ल वाजिब नहीं होता मगर खारिज शुदा (अन्दर से निकला हुआ) पानी चूँकि नजिस (नापाक) है इसलिए बदन और कपड़ों पर जो नजासत लग जाती है उसका धोना ज़रूरी है। नजासत से पाकी हासिल करने के बाद बगैर गुस्ल किए नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

## लाश की डॉक्टरी चीर-फाड़ करने से गुस्ल लाज़िम नहीं

**सवाल:** मैं मैडिकल कालिज का तालिब-इल्म हूँ चूँकि हमें तालीम के दौरान डाई-सेक्शन भी करना होता है इसलिए यह बताएँ कि इनसानी लाश के गोश्त को हाथ लगाने के बाद क्या गुस्ल लाज़िम हो जाता है?

**जवाब:** नहीं, बल्कि हाथ धोना काफी है।

## औरत को बच्चा पैदा होने पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं

**सवाल:** औरत के जब बच्चा पैदा होता है क्या उसी वक़्त गुस्ल करना वाजिब है? चूँकि हमने सुना है कि अगर औरत गुस्ल न करेगी तो उसका खाना पीना सब हराम और गुनाह है, जबकि कराची के अस्पतालों में कोई नहीं नहाता।

**जवाब:** हैज़ व निफ़ास वाली औरत के हाथ का खाना जायज़ है जब तक वह पाक न हो जाए उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं, और यह ख़्याल बिल्कुल ग़लत है कि बच्चा पैदा होने के

बाद उसी वक़्त गुस्ल करना वाजिब है, बल्कि जब खून बन्द हो जाए तो उसके बाद गुस्ल वाजिब होगा।

## पेशाब के साथ क़तरे ख़ारिज होने पर गुस्ल वाजिब नहीं

सवाल: पेशाब के दौरान अगर चन्द क़तरे भी ख़ारिज हो जाएँ तो क्या ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो गया या नहीं?

जवाब: पेशाब के दौरान क़तरे ख़ारिज होने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। बाज़ लोगों को यह बीमारी होती है कि पेशाब से पहले या बाद दूध की सी शक्ल का मादा ख़ारिज होता है उसको “चदी” कहते हैं और उसके ख़ारिज होने से गुस्ल वाजिब नहीं होता।

## वुजू या गुस्ल के बाद पेशाब का क़तरा आने पर वुजू दोबारा करें गुस्ल नहीं

सवाल: वुजू के बाद अगर पेशाब का क़तरा आ जाए तो क्या दोबारा वुजू करना चाहिए? गुस्ल के बाद अगर कभी पेशाब का क़तरा आ जाए तो क्या दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी है?

जवाब: पेशाब का क़तरा आने पर वुजू टूट जाता है दोबारा इस्तिन्जा और वुजू करना चाहिए गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। और अगर गुस्ल के बाद मनी (वीर्य) ख़ारिज हो जाए तो उसमें यह तफ़्सील है कि अगर गुस्ल से पहले सो



लिया हो, या पेशाब कर लिया हो, या चल-फिर लिया हो तो दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं, और अगर सोहबत से फ़ारिग होकर फ़ौरन गुस्ल कर लिया न पेशाब किया, न सोया, न चला-फिरा, बाद में मनी ख़ारिज हुई तो दोबारा गुस्ल लाज़िम है।

**अगर गुस्ल करने के बाद मनी या पेशाब का क़तरा आ जाये तो क्या गुस्ल वाजिब होगा?**

**सवाल:** अगर गुस्ल के बाद या नमाज़ पढ़ने के बाद मनी (वीर्य) या पेशाब वगैरह का क़तरा आ जाए तो गुस्ल वाजिब होगा या नहीं?

**जवाब:** अगर गुस्ल करने से पहले सो गया था या पेशाब कर लिया था, या चल-फिर लिया था तो दोबारा गुस्ल वाजिब नहीं। और अगर इन बातों से पहले गुस्ल किया था और मनी का क़तरा निकल आया तो गुस्ल दोबारा करे, लेकिन क़तरा निकलने से पहले जो नमाज़ पढ़ी वह हो गई। और अगर पेशाब का क़तरा आया तो गुस्ल वाजिब नहीं सिर्फ़ बुजू कर लेना काफ़ी है, और कपड़े में जहाँ नजासत लगी हो उसका धोना काफ़ी है।

**नोट:** माज़ूर के अहकाम संबन्धित अध्याय में देखें जो इसी किताब में आगे शामिल है।

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

## तयम्मुम

### पानी न मिलने पर तयम्मुम क्यों?

**सवाल:** पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम कराया जाता है, इसमें क्या मस्लेहत है?

**जवाब:** मेरे भाई हमारे लिए सबसे बड़ी मस्लेहत यही है कि अल्लाह पाक का हुक्म है और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। वैसे क़ुरआने करीम ने इसकी मस्लेहतों की तरफ़ भी इशारा किया है, चुनाँचे इरशाद है:

“अल्लाह यह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी डाले, बल्कि वह यह चाहता है कि तुमको पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे, ताकि तुम शुक्र करो” (सूर: मायदा रूकूअ 2)

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि हक़ तआला शानुहू ने पानी न मिलने की सूरत में मिट्टी को पाक करने वाली बनाया है। जिस तरह पानी इनसानी बदन को पाक करने वाला है इसी तरह पानी पर कुदरत न होने की हालत में मिट्टी से तयम्मुम करना भी पाक करने वाला है। हज़रत शैख़ुल-हिन्द मौलाना महमूद हसन देवबन्दी रह० अपने तर्जुमे के फ़वाईद में लिखते हैं:

“मिट्टी ताहिर (पाक) है और बाज़ चीज़ों के लिए पानी की तरह मुतद्हिर (पाक करने वाली) भी है। जैसे खुफ़ (चमड़े का मोज़ा) तलवार आईना वगैरह, और नजासत ज़मीन पर

गिरकर खाक हो जाती है, वह भी पाक हो जाती है। और साथ ही हाथ और चेहरे पर मिट्टी मलने में इज्ज (विनम्रता) भी पूरा है, जो गुनाहों से माफी माँगने की आला सूरत है। सो जब मिट्टी जाहिरी और बातिनी दोनों तरह की नजासत (नापाकी) को ज़ायल (दूर) करती है तो इसलिए पानी हासिल न होने की सूरत में पानी के कायम-मक़ाम की गई। इसके अलावा आसानी व सहूलियत का तकाज़ा यह है, जिस पर तयम्मुम का हुक्म आधारित है यह कि पानी के कायम-मक़ाम ऐसी चीज़ की जाए जो पानी से ज़्यादा आसानी से हासिल हो। सो ज़मीन का ऐसा होना ज़ाहिर है, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है। इसी के साथ खाक इनसान की असल है और अपनी असल की तरफ़ रुजू करने (लौटने) में गुनाहों और ख़राबियों से बचाव है। काफ़िर भी आरजू करेंगे कि किसी तरह खाक में मिल जाएँ जैसा कि पहले आयत में मज़कूर हुआ।” (तर्जुमा शैख़ुल-हिन्द, सूर: निसा आयत 43)

## तयम्मुम कब करना जायज़ है

**सवाल:** हमारे ख़ानदान की अक्सर औरतें तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ती हैं जबकि घर में पानी भी मौजूद होता है, और उन औरतों को कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जिसमें पानी से नुक़सान पहुँचने का अन्देशा हो। क्या ऐसी नमाज़ें क़बूल होंगी? ऐसी नमाज़ों के बारे में क्या हुक्म है?

**जवाब:** तयम्मुम की इजाज़त सिर्फ़ ऐसी सूरत में है कि पानी के इस्तेमाल पर कुदरत न हो, जो शख्स पानी इस्तेमाल

कर सकता है उसका तयम्मूम जायज़ नहीं, न उसकी नमाज़ सही होगी। और पानी के इस्तेमाल पर कुदरत न होने की दो सूरतें हैं एक यह कि पानी मयस्सर ही न आए, यह सूरत उमूमन सफ़र में पेश आ सकती है। पस अगर पानी एक मील दूर हो, या कुआँ तो है मगर कुएँ से पानी निकालने की कोई सूरत नहीं, या पानी पर कोई दरिन्दा बैठा है, या पानी पर दुश्मन का कब्ज़ा है और उसके खौफ़ की वजह से पानी तक पहुँचना मुम्किन नहीं तो इन तमाम सूरतों में उस शख्स को गोया पानी मयस्सर नहीं, और वह तयम्मूम करके नमाज़ पढ़ सकता है।

दूसरी सूरत यह है कि पानी तो मौजूद है मगर वह बीमार है और वुजू या गुस्ल से जान की हलाकत का या किसी उज़्व (बदन के अंग) के तलफ़ (ज़ाया) हो जाने का या बीमारी में शिद्दत हो जाने का या बीमारी के तूल पकड़ जाने का अन्देशा है, या खुद वुजू या गुस्ल करने से माज़ूर है और कोई दूसरा आदमी वुजू और गुस्ल कराने वाला मौजूद नहीं, तो ऐसा शख्स तयम्मूम कर सकता है। जो औरतें इन माज़ूरियों के बग़ैर तयम्मूम कर लेती हैं उनका तयम्मूम कैसे जायज़ हो सकता है? और तहारत के बग़ैर नमाज़ कैसे सही हो सकती है?

## तयम्मूम करने का तरीका

सवाल: तयम्मूम का तरीका क्या है?

जवाब: पाक होने की नीयत करके दोनों हाथ पाक मिट्टी

पर फेर कर उनको झाड़ लीजिए और अच्छी तरह मुँह पर मल लीजिए, कि एक बाल की जगह भी ख़ाली न रहे, फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मार कर दोनों हाथों पर कोहनियों तक मल लीजिए।

## पानी होते हुए तयम्मूम करना जायज़ नहीं

**सवाल:** मेरे एक दोस्त हैं नमाज़ रोज़े के बड़े पाबन्द हैं। उनका कहना है कि बाज़ लोग नमाज़ रोज़े की पाबन्दी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इस मामले में इन्तिहा-पसन्द हो जाते हैं और फिर पूरी तरह उस पर अमल-पैरा नहीं हो सकने की वजह से उसे छोड़ देते हैं। इसलिए हमें एतिदाल (दरमियानी राह) से काम लेना चाहिए। इसी लिए वह अक्सर रात के वक़्त पानी होते हुए भी तयम्मूम करके नमाज़ अदा करते हैं। टी. वी. ड्रामों से फ़ारिग हो जाते हैं तब इशा की नमाज़ अदा करते हैं वगैरह-वगैरह। जबकि मेरा ज़ाती ख़्याल यह है कि अगर हम कोई फ़र्ज़ अदा करें तो उसे पूरे लवाज़िमात (उससे संबन्धित आदाब) के साथ अदा करें, उसकी तमाम शर्तें पूरी करें। बताइये आप इस बारे में क्या कहते हैं?

**जवाब:** आपकी बात सही है। पानी होते हुए तयम्मूम नहीं हो सकता। आपके दोस्त का यह कहना तो सही है कि “हमें एतिदाल से काम लेना चाहिए” लेकिन हमें “एतिदाल का पैमाना” अपने पास से ईजाद करने की इजाज़त नहीं कि जिस चीज़ को हमारी तबीयत “एतिदाल” कहे बस उसको

“एतिदाल” (सही और दरमियानी रास्ता) समझा जाए। एतिदाल का पैमाना खुद शरीअते पाक है। चुनाँचे कुरआने करीम में है:

‘फिर न पाओ तुम पानी तो क़स्द (इरादा) करो पाक मिट्टी का’।

आप देख रहे हैं कि कुरआने करीम ने पानी न मिल सकने को तयम्मूम की शर्त ठहराया, पर यह तो एतिदाल हुआ, और जो शख्स पानी के होते हुए बगैर किसी उज़्र के तयम्मूम से नमाज़ टरखा लेता है वह बेएतिदाली का मुर्तकिब (करने वाला) है।

## वुजू और गुस्ल के तयम्मूम का एक ही तरीका है

सवाल: क्या वुजू और गुस्ल के तयम्मूम में कुछ फ़र्क है? जनाबत के गुस्ल के लिए मैंने पढ़ा है कि ज़मीन पर लेटकर एक करवट दाईं तरफ़ मुकम्मल करके दूसरी करवट बाईं तरफ़ मुकम्मल करो, यह जनाबत (पाक होने) का तयम्मूम हो गया। यह कहाँ तक दुरुस्त है?

जवाब: वुजू और गुस्ल के तयम्मूम में कोई फ़र्क नहीं, दोनों का एक तरीका है। जनाबत (नापाकी से पाक होने) के गुस्ल के लिए आपने ज़मीन पर लेटने और मिट्टी से लत-पत होने की जो बात सुनी है वह ग़लत है।

## तयम्मूम किन चीज़ों से जायज़ है?

सवाल: तयम्मूम किन चीज़ों से हो सकता है? मसलन्

सिमेन्ट वाला फर्श, साफ़ कपड़ा, मिट्टी वगैरह।

जवाब: तयम्मुम पाक मिट्टी से हो सकता है या जो चीज़ मिट्टी की जिन्स से हो, लकड़ी कपड़ा लोहा जैसी चीज़ों से तयम्मुम नहीं होगा, अलबत्ता अगर कपड़े लकड़ी वगैरह पर गुबार पड़ा हो तो उससे तयम्मुम जायज़ है।

## वक़्त की तंगी की वजह से बजाय

### गुस्ल के तयम्मुम जायज़ नहीं

सवाल: एक शख्स जमाअत से नमाज़ पढ़ता है। उसको फ़जर की नमाज़ से पहले गुस्ल की हाजत है, उसकी आँख उस वक़्त खुली जब सूरज के निकलने में सिर्फ़ 15-20 मिनट बाकी हैं। वह इतनी देर में गुस्ल करेगा तो नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा। ऐसी सूरत में क्या वह शख्स तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है?

जवाब: महज़ वक़्त की तंगी की वजह से तयम्मुम करना जायज़ नहीं, गुस्ल करके नमाज़ पढ़े। और अगर वक़्त निकल जाए तो कज़ा पढ़े, अलबत्ता बेहतर यह है कि उस वक़्त तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले बाद में गुस्ल करके नमाज़ की कज़ा कर ले।

तयम्मुम बीमारी में सही है,

कम-हिम्मती से नहीं

सवाल: मैं टी. बी. की मरीज़ हूँ। अगस्त से लेकर अप्रैल

मई तक मुझे लगातार बुखार नज़ला जुकाम और जिस्म में कहीं न कहीं दर्द रहता है। इस तकलीफ़ की वजह से अ़सर से इशा तक तयम्मुम करती हूँ। इस्लामी रू से यह तरीका सही है या ग़लत? तहरीर फ़रमाएँ।

**जवाब:** अगर पानी नुकसान देता हो और उससे मर्ज़ के बढ़ जाने का अन्देशा हो तो आप वुजू की जगह तयम्मुम कर सकती हैं, लेकिन महज़ कम-हिम्मती की वजह से वुजू छोड़कर तयम्मुम कर लेना सही नहीं।

## गुस्ल के बजाय तयम्मुम कब जायज़ है?

**सवाल:** अगर गुस्ल वाजिब हो जाए और मर्ज़ बढ़ने या बीमार हो जाने की आशंका हो तो क्या उस सूरत में तयम्मुम हो जायेगा और गुस्ल के लिये तयम्मुम का तरीका क्या होगा?

**जवाब:** सिर्फ़ वहम का एतिबार नहीं। अगर किसी शख्स की हालत वाक़ई ऐसी हो कि वह गर्म पानी से भी गुस्ल करेगा तो बीमारी बढ़ जाने या बीमार पड़ जाने का ग़ालिब गुमान हो, तो उसको गुस्ल की जगह तयम्मुम की इजाज़त है, और गुस्ल का तयम्मुम वही है जो वुजू का तयम्मुम होता है।

## डॉक्टर बीमारी की तस्दीक़ कर दे तो

### तयम्मुम करे

**सवाल:** अगर कोई शख्स बीमार हो और गुस्ल करने से बीमारी के बढ़ जाने का अन्देशा हो तो वह क्या करे?

**जवाब:** अगर वाक़ई अन्देशा हो और तबीब (डॉक्टर)



उसकी तस्दीक कर दे तो तयम्मूम करे, बशर्ते कि डॉक्टर माहिर हो और दीनदार हो।

## गुस्ल के लिए एक ही तयम्मूम काफी है

सवाल: आदमी जितने दिन बीमार रहे हर नमाज़ से पहले वुजू करने से पहले गुस्ल के तौर पर तयम्मूम ज़रूरी है या एक बार तयम्मूम करना ही काफी होता है?

जवाब: गुस्ल के लिए तयम्मूम सिर्फ़ एक बार कर लेना काफी है, जब तक दोबारा गुस्ल की हाजत पेश न आ जाए।

## पानी लगने से मुहासों से खून निकलने पर

### तयम्मूम जायज़ है

सवाल: मेरी उम्र 18 साल है और मेरे तमाम चेहरे पर मुहासे हैं जिनमें खून और पीप है। जब मैं वुजू करता हूँ तो चेहरे पर पानी लगने से मुहासों में से खून निकलने लगता है। क्या मैं ऐसी हालत में तमाम वक्तों में तयम्मूम करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ?

जवाब: अगर तकलीफ़ वाकई इतनी सख़्त हो जितनी आपने लिखी है और मसह भी नहीं कर सकते तो तयम्मूम जायज़ है।

## मुस्तामल पानी के होते हुए तयम्मूम

सवाल: मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) पानी और गैर-मुस्तामल (बिना इस्तेमाल किया हुआ) पानी जबकि यकजा

जमा हों कोई और पानी कुजू के लिये न मिले और मुस्तामल और गैर-मुस्तामल बराबर हों जैसे एक लोटा मुस्तामल हो और एक लोटा गैर-मुस्तामल, अब फरमाएँ कि इस सूरत में क्या करें कुजू या तयम्मूम?

जवाब: मुस्तामल और गैर-मुस्तामल पानी अगर मिल जाएँ तो ग़ालिब (ज्यादा और छाये हुए) का एतिबार है। अगर दोनों बराबर हों तो एहतियात के तौर पर गैर-मुस्तामल को मग़लूब (कम और दबा हुआ) करार दिया जाएगा और उससे कुजू सही नहीं, बल्कि तयम्मूम करना होगा।

## रेल गाड़ी में पानी न होने पर तयम्मूम करे

सवाल: रेल गाड़ी के सफ़र में अगर कुजू के लिए पानी न मिल सके और वक़्त क़ज़ा हो रहा हो तो क्या अमल करें?

जवाब: रेल गाड़ी में पानी न मिले तो तयम्मूम कर सकता है, मगर शर्त यह है कि रेल के किसी डब्बे में भी पानी न हो, और एक मील शरई के अन्दर पानी के मौजूद होने का इल्म न हो, जहाँ रेल रुकती हो।

## मोज़ों पर मसह

### किन मोज़ों पर मसह जायज़ है?

सवाल: सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग नाईलून के मोज़ों पर मसह करते हैं, मैंने भी फ़िक्का (मसाईल) की बाज़ कित्ताबों में पढ़ा है कि हर ऐसे मोज़े पर मसह जायज़ है

जिससे पैर न झलकते हों, मगर बाज़ लोग फिर भी मुख़ालफ़त करते हैं। आप क़ुरआन व हदीस की रोशनी में बताएँ कि किस किस्म के मोज़ों पर मसह जायज़ है।

**जवाब:** ऐसी जुराबों पर मसह जायज़ है जो ख़ूब मोटी हों और किसी चीज़ से बाँधे बग़ैर तीन चार मील उनको पहन कर चल सकता हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक उसके लिए एक शर्त यह भी है कि ऐसी जुराबों पर मर्दाना जूते की मिक्दार का चमड़ा चढ़ा हुआ हो। पस अगर जुराबें पतली हों तो उन पर हमारे फ़ुक़हा में से किसी के नज़दीक मसह जायज़ नहीं। और अगर मोटी हों लेकिन उन पर चमड़ा न चढ़ा हुआ हो तो इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक मसह जायज़ नहीं, साहिबैन (इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़) के नज़दीक जायज़ है।

## मसह करने वाले मोज़े में पाक चमड़ा

**सवाल:** मोज़ों के बारे में हदीसों से साबित है कि उन पर मसह कर लिया जाए। मसला यह है कि उन मोज़ों का जो कि पहन रखे हैं उनका पता कैसे लगाया जाए कि ये हलाल जानवर के हैं या हराम जानवर के, क्या हलाल व हराम दोनों चमड़े से बने हुए मोज़ों पर मसह करने से बुजू हो जाता है?

**जवाब:** खाल दबाग़त (यानी उसको नमक वग़ैरह लगाकर तैयार करने और सुखा लेने) से पाक हो जाती है, और मोज़े पाक चमड़े ही के बनाए जाते हैं, इसलिए इस वस्वसे (वहम) की ज़रूरत नहीं।

## हैज़ व निफ़ास

### पाकी से मुताल्लिक औरतों के मसाईल

#### दस दिन के अन्दर आने वाला खून हैज़ ही में शुमार होगा

सवाल: एक औरत को हर महीने छह या सात दिन हैज़ रहता है लेकिन कभी-कभार 5 दिन गुज़रने के बाद जब सुबह उठती है तो कोई खून वगैरह नहीं होता, इस तरह वह गुस्ल कर लेती है लेकिन गुस्ल करने के बाद फिर खून जारी हो जाता है, इसी तरह दूसरे दिन भी होता है। 4-5 घन्टे कुछ नहीं होता है लेकिन उसके बाद फिर खून जारी हो जाता है। पूछना यह है कि जिन दिनों में वक्फ़ा-वक्फ़ा से जो खून आता रहा यह हैज़ (माहवारी) में शुमार होगा या इस्तेहाज़ा में? यानी अगर किसी औरत को 5-6 घन्टे या कम व बेश वक़्त के बाद फिर खून जारी हो जाए तो वह हैज़ शुमार होगा या नहीं? दूसरे हर महीने जो दिन मुकर्रर हैं और उन मुकर्ररा दिनों के बाद ऐसा हो जाए तो फिर क्या हुक्म है?

जवाब: हैज़ (माहवारी) की कम से कम मुदत तीन दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा मुदत दस दिन है। हैज़ की मुदत के दौरान जो खून आए वह हैज़ ही शुमार होगा, चाहे 3-4 घन्टे के वक्फ़े ही से आए।

## औरत नापाकी के दिनों में नहा सकती है

**सवाल:** मैंने सुना है कि नापाकी के दिनों में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर गर्मी की वजह से सिर्फ सर भी धो लिया जाए तो सर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसला यह है कि कम से कम सात दिन में नापाकी दूर होती है और गर्मियों में सात दिन बगैर नहाये रहना बहुत मुश्किल है, बराहे मेहरबानी आप यह बतायें कि क्या वाकई मजबूरी के दिनों में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए?

**जवाब:** औरत को नापाकी के दिनों में नहाने की इजाजत है, और यह नहाना ठंडक के लिए है, तहारत के लिए नहीं। यह किसी ने बिल्कुल झूठ कहा है कि उस हालत में नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा।

## हैज़ से पाक होने की कोई आयत नहीं

**सवाल:** हैज़ (माहवारी) के बाद पाक होने की क्या कोई मख्सूस आयत होती है?

**जवाब:** नहीं, औरतों में यह जो मशहूर है कि फुल्लों-फुल्लों आयतें या कलिमे पढ़ने से औरत पाक होती है, यह क़तई ग़लत है, नापाक आदमी पानी से पाक होता है आयतों या कलिमों से नहीं।

## खास दिनों में मिलने का गुनाह करने पर

### तौबा व इस्तिग़फ़ार और सदका

**सवाल:** हमने सुना है कि जब औरत को दिन आएँ तो

मर्द को उसके पास जाने की मनाही है, मगर फिर भी अगर मर्द अपने आपको काबू में न रख सके और उससे यह काम सरज्जद हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके निकाह में कोई फर्क आया या नहीं? और यह गुनाह कबीरा (बड़ा) है या सगीरा (छोटा) है?

जवाब: ऐसी हालत में बीवी से मिलना जबकि वह माहवारी के दिनों में हो, नाजायज़ व हराम और गुनाहे कबीरा है, तौबा इस्तिग़फ़ार करे और अगर गुन्जाईश हो तो तक़रीबन छह गिराम चाँदी या उसकी कीमत सदक़ा करे, वरना तौबा व इस्तिग़फ़ार ही करता रहे, मगर इस नाजायज़ फ़ेल से निकाह में कोई फर्क नहीं आता।

## खास दिनों के दौरान शौहर का छूना

सवाल: क्या माहवारी में शौहर अपनी बीवी से मुक़ारबत (सोहबत) या घुटनों से लेकर ज़ेरे नाफ़ के हिस्से को छू सकता है?

जवाब: दिनों की हालत में मियाँ-बीवी वाला काम करना सख़्त हराम है, बल्कि नाफ़ से लेकर घुटनों तक के बदन के हिस्से को शौहर का हाथ लगाना और छूना भी बग़ैर पर्दे के जायज़ नहीं।

## इस्लाम में औरत के लिए खास दिनों में रिआयतें

सवाल: मजबूरी के दिनों में औरत के हाथ का पका हुआ

खाना जायज़ है या नहीं?

जवाब: ज़माना-ए-जाहिलीयत (नबी पाक के तशरीफ़ लाने से पहले) और ख़ासकर यहूदियों के समाज में औरत मख़सूस (यानी माहवारी के) दिनों में बहुत नजिस (नापाक) चीज़ समझी जाती थी और उसको एक कमरे में बन्द कर देते थे। न वह किसी चीज़ को हाथ लगा सकती थी न खाना पका सकती थी और न किसी से मिल सकती थी। लेकिन इस्लाम के मोतदिल निज़ाम ने ऐसी कोई चीज़ बाक़ी नहीं रखी, सिवाय रोज़ा नमाज़ और तिलावते कलाम पाक के बाक़ी तमाम चीज़ें उसके लिए जायज़ करार दीं, यहाँ तक कि वह अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद शरीफ़ और दीगर दुआएँ पढ़ सकती है और सिवाय कुरआन के दूसरे वज़ाईफ़ भी अदा कर सकती है। ख़ास दिनों में मियाँ-बीवी वाले काम की इजाज़त नहीं, नमाज़ रोज़ा भी नहीं कर सकती, उसके ज़िम्मे रोज़े की क़ज़ा है, नमाज़ की क़ज़ा नहीं। गर्ज़ यह कि उन दिनों में औरत का खाना पकाना कपड़े धोना और दूसरे घरेलू काम करना जायज़ है।

## निफ़ास के अहकाम

सवाल: निफ़ास किसे कहते हैं? क्या हैज़ की तरह निफ़ास में भी नमाज़ माफ़ हो जाती है या बाद में क़ज़ा पढ़नी पड़ती है? निफ़ास से पाक होने का क्या तरीका है? निफ़ास के दौरान अगर रमज़ान आ जाए तो रोज़ा रखेगी या बाद में क़ज़ा रोज़ा रखेगी?

जवाब: बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफ़ास कहते हैं। जिस तरह हैज़ में नमाज़ माफ़ हो जाती है इसी तरह निफ़ास में नमाज़ माफ़ है, और जिस तरह हैज़ में रोज़ा माफ़ नहीं इसी तरह निफ़ास में भी माफ़ नहीं, बल्कि बाद में क़ज़ा रखना होगा। निफ़ास का (बच्चे की पैदाईश के बाद आने वाला) खून बन्द हो जाने के बाद नहाने से औरत पाक हो जाती है।

## निफ़ास वाली औरत के हाथ से खाना पीना

सवाल: निफ़ास वाली औरत की जब तक निफ़ास की मुद्त पूरी न हो उसके हाथ से खाना पीना शरीअत की रू से जायज़ है कि नहीं?

जवाब: जायज़ है।

## क्या बच्चे की पैदाईश से कमरा

### नापाक हो जाता है?

सवाल: बच्चे की पैदाईश के बाद माँ और बच्चे को जिस कमरे या घर में रखा जाता है चालीस दिन के बाद उसको अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, और उसमें रंग व रोग़न किया जाता है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता वह घर या कमरा नापाक रहता है? जबकि डायरेक्ट औरत की नापाकी से उस घर या कमरे का ताल्लुक़ भी नहीं होता। आप इस ग़ैर-इस्लामी रस्म का क़ुरआन व हदीस की रू से जवाब इनायत फ़रमाएँ।



**जवाब:** सफाई तो अच्छी चीज़ है मगर घर या कमरे के नापाक होने का तसव्वुर ग़लत और तवह्हूम-परस्ती (अंधविश्वास) है।

## माहवारी के दिनों में मेहंदी लगाना जायज़ है

**सवाल:** अक्सर बड़ी उम्र की औरतों का कहना है कि मेहंदी माहवारी के दिन शुरू होने के बाद यानी दिनों के दौरान मेहंदी न लगाई जाए क्योंकि उस वक़्त तक हाथ पाक नहीं होते जब तक मेहंदी बिल्कुल न उतर जाए। और उनका कहना यह भी है कि अगर दिन शुरू होने से पहले लगाई तो कोई हर्ज नहीं, फिर चाहे लगी हो या न लगी हो पाक हो सकते हैं।

**जवाब:** औरत के ख़ास दिनों में मेहंदी लगाना शरअनू जायज़ है और यह ख़्याल ग़लत है कि माहवारी के दिनों में मेहंदी नापाक हो जाती है।

## हैज़ के दौरान पहने हुए कपड़ों का हुक्म

**सवाल:** ख़ास (माहवारी के) दिनों में जो लिबास पहने जाते हैं क्या उन्हें बग़ैर धोये नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं? या सिर्फ़ उन हिस्सों को जहाँ गंदगी लगी हो धो लिया जाए? या तमाम चीज़ें यानी कमीज़, शलवार, दुपट्टा, चादर, सूईटर, शाल वग़ैरह सब को धोना चाहिए?

**जवाब:** कपड़े का जो हिस्सा नापाक हुआ है उसे पाक करके पहन सकते हैं, और जो पाक हों उनके इस्तेमाल में

कोई हर्ज नहीं।

**औरत को गैर-ज़रूरी बाल लोहे की चीज़ से  
दूर करना अच्छा नहीं**

सवाल: क्या औरतों को किसी लोहे की चीज़ से गैर-ज़रूरी बालों को दूर करना गुनाह है?

जवाब: गैर-ज़रूरी बालों के लिए औरतों को चूना पाउडर साबुन वगैरह इस्तेमाल करने का हुक्म है, लोहे का इस्तेमाल उनके लिए पसन्दीदा नहीं, मगर गुनाह भी नहीं।

**हैज़ के दौरान इस्तेमाल किए हुए फ़र्नीचर**

**वगैरह का हुक्म**

सवाल: उन चीज़ों के पाक करने के बारे में ज़रूर बताइये जिनको हैज़ के दौरान इस्तेमाल कर चुके हैं जैसे सोफ़ा-सेट, नये कपड़े, चारपाई या ऐसी चीज़ें जिनको पानी से पाक नहीं कर सकते हैं?

जवाब: ये चीज़ें इस्तेमाल से नापाक तो नहीं हो जातीं जब तक नजासत (नापाकी और गंदगी) न लगे।

**ख़ास दिनों में औरत का ज़बान से कुरआन  
करीम पढ़ना जायज़ नहीं**

सवाल: हमने बचपन में कुरआन पाक नहीं पढ़ा था इसलिए अब पढ़ रहे हैं। हमारी उस्तानी कहती हं कि तुम

कुरआन शरीफ़ मख़सूस दिनों में भी पढ़ा करो, पारे के पेज में पलट दिया करूँगी, क्योंकि पढ़ते तो ज़बान से हैं और ज़बान पाक होती है। अब आपसे यह पूछना है कि क्या हम उन दिनों में कुरआन शरीफ़ पढ़ सकते हैं?

जवाब: दिनों की हालत में औरत का ज़बान से कुरआन करीम पढ़ना जायज़ नहीं, इसी तरह जिस मर्द या औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उसके लिए भी कुरआन करीम की तिलावत जायज़ नहीं। आपकी उस्तानी का बताया हुआ मसला सही नहीं। इस हालत में ज़बान खाने पीने के लिए तो पाक होती है मगर तिलावत के हक़ में पाक नहीं। जिस तरह बेबुजू आदमी के आज़ा (बदन के हिस्से) तो पाक होते हैं लेकिन जब तक बुजू न कर ले नमाज़ के लिए पाक नहीं होते, इसको नजासते हुक्मी कहते हैं। जनाबत (नापाकी) और हैज़ व निफ़ास की हालत में भी ज़बान हुक्मी तौर पर नापाक होती है, हाँ जि़क्र व तस्बीह और दुआ की इस हालत में भी इजाज़त है।

## क्या औरत मख़सूस दिनों में ज़बानी

### कुरआन के अलफ़ाज़ पढ़ सकती है?

सवाल: “मख़सूस दिनों” में औरत को अगर कुछ कुरआनी आयतें याद हों तो क्या वह पढ़ सकती है या नहीं?

जवाब: औरतों के मख़सूस दिनों में कुरआन करीम की आयतें पढ़ना जायज़ नहीं, अलबत्ता बतौर दुआ के कुरआन के

अलफ़ाज़ पढ़ सकती है, इस हालत में हाफ़िज़ औरत को चाहिए कि जबान हिलाए बग़ैर ज़ेहन में पढ़ती रहे और कोई लफ़्ज़ भूले तो कुरआन मजीद किसी कपड़े के ज़रिये खोलकर देख ले।

## हैज़ के दिनों में हदीस याद करना और

### कुरआन का तर्जुमा पढ़ना

सवाल: मैं (हदीस की किताब) रियाजुस्सलिहीन अरबी जिल्द अब्वल की हदीस पढ़ती और याद करती हूँ। क्या मैं खास दिनों में भी उन अरबी हदीसों को पढ़ और याद कर सकती हूँ और कुरआन का तर्जुमा बग़ैर अरबी पढ़े, बग़ैर हाथ लगाए सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा देखकर पढ़ सकती हूँ? और उनको खास दिनों में याद कर सकती हूँ?

जवाब: दोनों मसलों में इजाज़त है।

## खास दिनों में इम्तिहान में कुरआनी सूरतों

### का जवाब किस तरह लिखे

सवाल: कुरआनी सूरतें कोर्स में शामिल हैं, इम्तिहान में उनका मतन, व्याख्या और दूसरी आयतों के हवाले तहरीर करने होते हैं, उन दिनों में यह तहरीर करना कैसा है?

जवाब: तर्जुमा, व्याख्या लिखने की इजाज़त है, मगर आयते करीमा का मतन न लिखे, आयत का हवाला देकर उसका तर्जुमा लिख दे।

## औरतें और उस्तानियाँ खास दिनों में तिलावत किस तरह करें

**सवाल: 1:** औरतें अपने खास दिनों में कुरआन शरीफ़ की तिलावत कर सकती हैं या नहीं?

**सवाल: 2:** बाज़ उस्तानियाँ जो कि कायदा, नाज़रा या हिफ़ज़ की तालीम देती हैं, क्या वे इस वजह से कि बच्चों की तालीम का हर्ज होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए कुरआन शरीफ़ की तिलावत कर सकती हैं? अगर नहीं तो फिर तालीम का सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए?

**सवाल: 3:** क्या औरतें अपने खास दिनों में किसी शख्स की या कैसिट, रेडियो और टेलीवीज़न से तिलावते कुरआन सुन सकती हैं?

**जवाब: 1:** औरतों के लिए खास दिनों में कुरआन करीम की तिलावत और उसको छूना जायज़ नहीं है, चाहे कुरआन करीम की एक आयत की तिलावत की जाए या एक आयत से भी कम, हर सूरात में तिलावते कुरआन जायज़ नहीं, अलबत्ता कुरआन की बाज़ वे आयतें जो कि दुआ और अज़कार के तौर पर पढ़ी जाती हैं, उनको दुआ या ज़िक्र के तौर पर पढ़ना जायज़ है। जैसे खाना शुरू करते वक़्त “बिस्मिल्लाह” या शुक्राने के लिए “अल्हमुदु लिल्लाह” कहना, इसी तरह कुरआन के वे कलिमात जो कि आ़म बोलचाल में इस्तेमाल में आ जाते हैं, उनका कहना भी जायज़ है।

जवाब: 2: कुरआन करीम की तालीम देने वाली उस्तानियों के लिए भी कुरआन करीम की तिलावत और कुरआन करीम को छूना जायज़ नहीं, बाकी यह कि तालीम का सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए इसके लिए फुक़हा (दीन के अ़ालिमों) ने यह तरीक़ा बताया है कि वे कुरआनी आयत कलिमा-कलिमा अलग-अलग करके पढ़ें जैसे अल्हम्दु.....लिल्लाहि.....रब्बिल.....अ़ालमीन। इस तरह मुअ़ल्लिमा (उस्तानी) के लिए कुरआनी कलिमात के हिज्जे करना भी जायज़ है।

जवाब: 3: औरतों के लिए ख़ास दिनों में तिलावते कुरआन करीम की मनाही तो हदीस शरीफ़ में आई है, लेकिन कुरआन सुनने की मनाही नहीं आई, लिहाज़ा उन ख़ास दिनों में किसी शख़्स से या रेडियो और कैसिट वगैरह से तिलावते कुरआन सुनना जायज़ है।

## हिफ़ज़ के दौरान नापाकी के दिनों में

### कुरआन करीम किस तरह याद किया जाए

सवाल: कुरआन शरीफ़ हिफ़ज़ करने के दौरान नापाकी की हालत में किसी पेन वगैरह की मदद से कुरआन पाक के पन्ने पलट कर याद करना जायज़ है कि नाजायज़?

जवाब: औरतों के ख़ास दिनों में कुरआन करीम का ज़बान से पढ़ना जायज़ नहीं, हाफ़िज़ औरत को भूलने का अन्देशा हो तो बगैर ज़बान हिलाए दिल में सोचती रहे, ज़बान

से न पढ़े किसी कपड़े वगैरह से पन्ने उलटना जायज़ है ।

## खास दिनों में कुरआनी आयतों वाली कोर्स की किताब पढ़ना और छूना

सवाल: हम बारहवीं की छात्रायें हैं और हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है जिसमें कुरआन के शुरू के बारह रूकूअ हमारे कोर्स में शामिल हैं। हमारी मुश्किल यह है कि खुदा न करे अगर इम्तिहान के ज़माने में हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम इस्लामिक स्टडीज़ की किताब को किस तरह पढ़ सकते हैं? क्योंकि मख़सूस दिनों में कुरआन छूना हराम है और बगैर किताब पढ़े हम इम्तिहान नहीं दे सकते, क्योंकि किताब में पूरी तशरीह व तफ़सीर (खुलासा और व्याख्या) होती है जिसे पढ़कर ही इम्तिहान दिया जा सकता है, तो आपसे अर्ज़ है कि उन दिनों किस तरह हम उस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं?

जवाब: कुरआन मजीद के अलफ़ाज़ को हाथ न लगाया जाये, न उन अलफ़ाज़ को ज़बान से पढ़ा जाये, किताब को हाथ लगाना और पढ़ना जायज़ नहीं ।

## खास दिनों में इस्लामी किताबों में लिखी आयतें किस तरह पढ़ें

सवाल: इस्लामी किताबों में जगह-जगह हवालों के लिए कुरआनी आयतें दर्ज हैं, अगर उनका उर्दू तर्जुमा भी न लिखा

हो तो उस हालत में उस कुरआनी आयत का पढ़ना कैसा है?

जवाब: कुरआन करीम की आयतों को दिल में पढ़ सकती हैं।

**हैज़ की हालत में कुरआन व हदीस की**

**दुआँ पढ़ना**

सवाल: ख़ास दिनों में कुरआन पाक की वे सूरतें जो कि रोज़ पढ़ने का मामूल है, ज़बानी याद हों तो क्या पढ़ सकते हैं? और रोज़ाना का 500 मर्तबा दुरूद शरीफ़ पढ़ने का मामूल है। क्या उन दिनों में 500 मर्तबा दुरूद शरीफ़ और चन्द सूरतें ज़बानी पढ़ सकते हैं, और आ़म तौर पर जो वज़ीफ़े जैसे चेहरे की रोशनी के लिए “अल्लाहु नूरुस्समावाति वल्-अर्ज़ि” अव्वल व आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाब: ख़ास दिनों में औरतों को कुरआन करीम की तिलावत जायज़ नहीं, कुरआन व हदीस की दुआँ दुआ की नीयत से पढ़ सकती हैं, दूसरे ज़िक्र व अज़कार, दुरूद शरीफ़ पढ़ना जायज़ है।

**औरतों का ख़ास दिनों में ज़िक्र करना**

सवाल: क्या औरतें अपने मख़्सूस दिनों में ज़िक्र कर सकती हैं? जैसे तीसरा कलिमा, दुरूद शरीफ़, इस्तिग़फ़ार, कलिमा तथ्यिबा वग़ैरह।

जवाब: कुरआन मजीद की तिलावत के अलावा सब ज़िक्र कर सकती हैं।



## मख्सूस दिनों में अमलियात करना

सवाल: अगर कोई अमल इस्लामी महीने की पहली तारीख से शुरू किया जाए और वह 21 या 41 दिन तक मुकम्मल करना हो तो क्या हैज़ की हालत में भी अमल जारी रखना चाहिए?

जवाब: अगर अमल कुरआन मजीद की आयत का हो तो माहवारी के दिनों में जायज़ नहीं।

## औरत सर से उखड़े बालों का क्या करे?

सवाल: जब औरत सर में कंधा करती है तो औरतें कहती हैं कि सर के बाल फेंकना नहीं चाहिए, उनको इकट्ठा करके कब्रिस्तान में दबा देना चाहिए?

जवाब: औरतों के सर के बाल भी सतर (छुपाने की चीज़) में दाखिल है, और जो बाल कंधी में आ जाते हैं उनको देखना भी ना-मेहरम को जायज़ नहीं, इसलिए उन बालों को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि किसी जगह दबा देना चाहिए।

## नाखुन-पालिश की बला

नाखुन-पालिश लगाना काफ़िरो की पैरवी है,

इससे न वुजू होता है न गुस्ल न नमाज़

सवाल: आजकल नौजवान लड़कियाँ इस कश्मकश (दुविधा) में मुब्तला हैं कि आया लड़कियाँ जो नाखुनों को पालिश लगाती हैं उसको साफ़ करने के बाद वुजू करें या पालिश के ऊपर से ही वुजू हो जाएगा? कई समझदार और तालीम-याफ़्ता लड़कियाँ और मुअज़्ज़ नमाज़ी औरतें यह कहती हैं कि नाखुनों की पालिश साफ़ किए बग़ैर ही वुजू हो जाएगा।

जवाब: नाखुनों से मुताल्लिक़ दो बीमारियाँ औरतों में खुसूसन नौजवान लड़कियों में बहुत ही आम होती जा रही हैं— एक नाखुन बढ़ाने का मर्ज़ और दूसरा नाखुन पालिश का। नाखुन बढ़ाने से आदमी के हाथ बिल्कुल दरिन्दों जैसे होते हैं और फिर उनमें गन्दगी भी रह सकती है, जिससे नाखुनों में जरासीम (कीटाणु) पैदा होते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दस चीज़ों को “फितरत” में शुमार किया है उनमें एक नाखुन तराशना भी है। पस नाखुन बढ़ाने का फैशन इन्सानी फितरत के खिलाफ़

है जिसको मुस्लिम औरतें काफिरों की पैरवी में अपना रही हैं। मुस्लिम औरतों को इस ख़िलाफ़े फ़ितरत पैरवी से परहेज़ करना चाहिए।

दूसरा मर्ज़ नाख़ुन पालिश का है। हक़ तअ़ाला ख़ानुहू ने औरत के आज़ा (बदनी अंगों) में फ़ितरी हुस्न रखा है, नाख़ुन पालिश का बनावटी और नक़ली लबादा (लिबास और जुब्बा) बिल्कुल ग़ैर-फ़ितरी चीज़ है, फिर उसमें नापाक चीज़ों की मिलावट भी होती है, वही नापाक हाथ खाने वग़ैरह में इस्तेमाल करना तबई कराहत की चीज़ है। और सबसे बढ़कर यह कि नाख़ुन पालिश की तह जम जाती है और जब तक उसको साफ़ न कर दिया जाए पानी नीचे नहीं पहुँच सकता।

पस न वुजू होता है न गुस्ल, आदमी नापाक का नापाक रहता है। जो तालीम-याफ़्ता (पढ़ी-लिखी) लड़कियाँ और बड़े वर की नमाज़ी औरतें यह कहती हैं कि नाख़ुन पालिश को साफ़ किए बग़ैर ही वुजू हो जाता है, वे ग़लत-फ़हमी में मुब्तला हैं, उसको साफ़ किए बग़ैर आदमी पाक नहीं होता, न नमाज़ होगी न तिलावत जायज़ होगी।

## नाख़ुन पालिश वाली मय्यित की पालिश

### साफ़ करके गुस्ल दें

सवाल: अगर कहीं मौत आ गई तो नाख़ुन पालिश लगी हुई औरत की मय्यित का गुस्ल सही हो जाएगा या नहीं?

जवाब: उसका गुस्ल सही नहीं होगा, इसलिए नाख़ुन

पालिश साफ करके गुस्ल दिया जाए।

## नील पालिश और लिपिस्टिक के साथ नमाज़

सवाल: चन्द रोज़ पहले हमारे घर “आयते करीमा” का ख़त्म था, जिसमें चन्द रिश्तेदार औरतें आईं, जिनमें कुछ फैशन में मलबूस थीं। फैशन से मुराद नाखुन में पालिश बदन में प्रफ़्यूम, होंठों में लिपिस्टिक वगैरह था, जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो नमाज़ के लिए खड़ी हो गईं। जब उनसे कहा गया कि इन चीज़ों से वुजू नहीं रहता तो नमाज़ कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तआला नीयत देखता है।

मौलाना साहिब! क्या नील पालिश, प्रफ़्यूम लिपिस्टिक वगैरह से वुजू बरकरार रहता है? क्या इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के बाद नमाज़ हो जाती है? बराहे मेहरबानी तफ़सील से जवाब दें, नवाज़िश होगी।

जवाब: खुदा तआला सिर्फ़ नीयत को नहीं देखता बल्कि यह भी देखता है कि जो काम किया गया वह उसकी शरीअत के मुताबिक़ भी है या नहीं? जैसे कोई शख्स बेवुजू नमाज़ पढ़े और यह कहे कि खुदा नीयत को देखता है तो उसका यह कहना खुदा और रसूल का मज़ाक़ उड़ाने के बराबर होगा, और ऐसे शख्स की इबादत, इबादत ही नहीं रहती। इसलिए फैशन-ऐबल औरतों का यह दलील पकड़ना बिल्कुल मोहमल और बेकार है कि खुदा नीयत को देखता है। नाखुन पालिश और लिपिस्टिक अगर बदन तक पानी को न पहुँचने दे तो वुजू नहीं होगा और जब वुजू न हुआ तो नमाज़ भी न हुई।

## नाखुन पालिश को मोज़ों पर कियास करना

### सही नहीं

**सवाल:** जिस तरह वुजू करके मोज़े पहन लिये जाएँ तो दूसरे वुजू के वक़्त पाँव धोने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ जुराब के ऊपर मसह कर लिया जाता है, इसी तरह वुजू करके नाखुन पालिश लगा ली जाए तो दूसरे वुजू के करते वक़्त उसे छुड़ाने की ज़रूरत तो नहीं है?

**जवाब:** चमड़े के मोज़ों पर मसह सब उलेमा और इमामों के नज़दीक जायज़ है। जुराबों पर मसह इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक जायज़ नहीं, और नाखुन पालिश को मोज़ों पर कियास करना सही नहीं। इसलिए अगर नाखुन पालिश लगी हो तो वुजू और गुस्ल नहीं होगा।

## नाखुन पालिश और लबों की सुर्खी का

### गुस्ल और वुजू पर असर

**सवाल:** जैसा कि नाखुन पालिश लगाने से वुजू नहीं होता, अगर कभी होंठों पर हल्की लाली लगी हो तो क्या वुजू हो जाएगा? अगर वुजू के बाद लगाई जाए तो उससे नमाज़ दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** नाखुन पालिश लगाने से वुजू और गुस्ल इसलिए नहीं होता कि नाखुन पालिश पानी को बदन तक पहुँचने नहीं देती, लबों की सुर्खी में भी अगर यही बात पाई जाती है कि

वह पानी के खाल तक पहुँचने में रुकावट हो तो उसको उतारे बगैर गुस्ल और वुजू नहीं होगा। और अगर वह पानी के पहुँचने से रुकावट नहीं तो गुस्ल और वुजू हो जाएगा। हाँ अगर वुजू के बाद नाखुन पालिश या सुर्खी लगा कर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ हो जाएगी लेकिन इससे बचना बेहतर है।

## खुशी से या जबरन नाखुन पालिश लगाने के मसाईल

सवाल: मैंने गुस्ल के फ़राईज़ में पढ़ा है कि सारे जिस्म पर पानी इस तरह बहाया जाए कि जिस्म का कोई हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रहे। आजकल यह बात आम फैशन में आ गई है कि हमारे घरों में औरतें नाखुनों पर पालिश करती हैं जो ज़्यादा गाढ़ी होती है और नाखुनों पर उसकी एक तह जम जाती है और ऐसे ही बाज़ मर्द हज़रात रंग का काम करते हैं जो जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाए तो आसानी से नहीं उतरता। ऐसी सूरत में ऐसे मर्द और औरतें गुस्ले जनाबत से पाकी हासिल कर सकते हैं या नहीं? इस्लाम ने औरत को अपने शौहर के सामने ज़ीनत बनाव-सिंघार की इजाज़त दी है, क्या नाखुन पालिश लगाना जायज़ है? अगर नाजायज़ है तो ऐसी हालत में औरत के लिए नमाज़, तिलावते कुरआन और खाने पीने के लिए क्या हुक्म है?

जवाब: नाखुन पालिश की अगर तह जम गई हो तो उसको छुड़ाए बगैर वुजू नहीं होगा, यही हुक्म और चीज़ों का है जो पानी के बदन तक पहुँचने से रोक हैं।

**सवाल:** अगर शौहर को खुश करने के लिए नाखुन पालिश लगाई जाए और शौहर न लगाने पर सख्ती करे तो ऐसी औरत के लिए क्या हुक्म है? अगर इस्लामी तालीमात की रू से नाखुन पालिश लगाना गुनाह है तो यह गुनाह किसके सर पर है? बीवी पर या शौहर पर? अगर यह बात गुनाह है तो इस गुनाह को गुनाह समझाने के लिए यह जिम्मेदारी किस पर आयद होती है शौहर या बीवी पर? हुक्मत के पास मीडिया है उसके जरिये अगर इसका प्रचार किया जाए तो कैसा रहेगा?

**जवाब:** अगर नाखुन पालिश लगाने से नमाजें ग़ारत होती हैं और शौहर बावजूद इल्म के उससे मना न करे तो मर्द औरत दोनों गुनाहगार होंगे। अगर शौहर को खुश करने के लिए नाखुन पालिश लगा ले तो वुजू करने से पहले उसको छुड़ाए और फिर वुजू करके नमाज़ पढ़े, वरना नमाज़ नहीं होगी।

## क्या बनावटी दाँत और नाखुन पालिश के साथ गुस्ल सही है

**सवाल:** किसी मुसलमान मर्द या औरत के सोने के दाँत या नाखुन पालिश लगाने की सूरत में गुस्ल हो जाता है या नहीं?

**जवाब:** मसनूई (नकली और बनावटी) दाँतों के साथ गुस्ल हो जाता है, उनको उतारने की ज़रूरत नहीं। नाखुन

पालिश लगी हुई हो तो गुस्ल नहीं होता, जब तक उसे उतार न दिया जाए।

## औरतों के लिए किस किस्म का मैकअप जायज़ है?

**सवाल:** हमारी औरतें इस बात पर बहस करती हैं कि इनसान अपनी ख़ूबसूरती के लिए मैकअप कर सकता है। मालूम यह करना है कि मज़हब इस्लाम की रू से क्या औरतों को यह बात शोभा देती है कि वे बहैसियत मुसलमान मैकअप करें जिसमें सुर्खी पाँउडर नील पालिश शामिल हैं। क्या इस हालत में दीनी बयान की महफ़िल में शिर्कत करना, कुरआन-ख़्वानी और नमाज़ वग़ैरह पढ़ना सही है?

**जवाब:** औरत के लिए ऐसा मैकअप करना जिससे अल्लाह तआला की कुदरती बनावट में तब्दीली करने की कोशिश हो जायज़ नहीं, जैसे अपने फ़ितरी और पैदाईशी बालों के साथ दूसरे इनसानों के बालों को मिलाना। हाँ इनसानों के अलावा दूसरे मसनूई (नक़ली) बालों को मिलाना जायज़ है। उसके अलावा मैकअप फ़ितरी बनावट और पैदाईश में रद्दोबदल करने के बराबर न हो, वह उस सूरत में जायज़ है जबकि उस मैकअप के साथ औरत ग़ैर-मेहरम मर्दों के सामने न जाए। चुनाँचे इस किस्म के मैकअप में सुर्खी पाँउडर शामिल है हाँ यह ज़रूर है कि नाखुन पालिश से बचा जाए। क्योंकि नाखुन पालिश दूर किए बग़ैर न वुजू होता है और न



ही गुस्ल, नाखुन पालिश को हर बुजू के लिए हटाना एक मुश्किल काम है और जब नाखुन पालिश को हटाए बगैर बुजू या गुस्ल सही न होगा तो नमाज़ भी न होगी, इसलिए नाखुन पालिश की लानत से बचना लाज़िम है।

## पाकी और नापाकी में तिलावत, दुआ व अज़कार

नापाकी और बेबुजू होने की हालत में

कुरआन शरीफ़ पढ़ना

सवाल: नापाकी की हालत में या बगैर बुजू के कुरआन शरीफ़ की तिलावत की जा सकती है या नहीं?

जवाब: अगर गुस्ल की ज़रूरत हो तो न कुरआन शरीफ़ को हाथ लगाना (छूना) जायज़ है और न पढ़ना ही जायज़ है, और बगैर बुजू के हाथ लगाना जायज़ नहीं अलबत्ता पढ़ना जायज़ है।

नापाकी की हालत में कुरआनी आयतों का

तावीज़ इस्तेमाल करना

सवाल: हमने सुना है कि आदमी अगर नापाक हो तो उसको कुरआनी आयतें तावीज़ बनाकर नहीं पहननी चाहिएँ

यह बात दुरुस्त है या ग़लत?

जवाब: सिज़ काग़ज़ पर आयत लिखी हो नापाकी की हालत में उसको छूना जायज़ नहीं, लेकिन कपड़े वगैरह में लिपटा हो तो छूना जायज़ है। इससे मालूम हुआ कि नापाकी की हालत में तावीज़ पहनना जायज़ है, जबकि वह काग़ज़ में लिपटा हुआ हो।

## गुस्ल लाज़िम होने पर किन चीज़ों का पढ़ना

### जायज़ है

सवाल: अगर गुस्ल लाज़िम हो तो क्या तस्बीह जैसे दुरूद शरीफ़ कलिमा तय्यिबा इस्तिग़फ़ार वगैरह पढ़ सकते हैं?

जवाब: इस हालत में कुरआन करीम की तिलावत जायज़ नहीं, ज़िक्र व दुआ, दुरूद शरीफ़ वगैरह सब जायज़ है।

## कुरआनी आयतों और हदीस वाले मज़मून

### को बेवुजू छूना

सवाल: दीन इस्लाम की किताबों और रिसालों में जहाँ-जहाँ (कहीं-कहीं) कुरआन मजीद की आयतें और हदीसें अक्सर लिखी होती हैं ऐसी किताबों और ऐसे रिसालों को बेवुजू छूना और पढ़ना कैसा है?

जवाब: जायज़ है मगर आयाते करीमा पर हाथ न लगे।

## पत्ती वाला पान खाकर कुरआन शरीफ़ पढ़ सकता है

सवाल: पत्ती वाला पान खाकर कुरआन शरीफ़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाब: पढ़ सकता है, अलबत्ता बदबूदार चीज़ खाकर तिलावत करना मक्रूह है।

## गुस्ल फ़र्ज होने पर इस्मे आज़म का विर्द

सवाल: गुस्ल फ़र्ज होने की सूरत में इस्मे आज़म या किसी सूरत का विर्द किया जा सकता है या नहीं? और तिलावत भी की जा सकती है या नहीं?

जवाब: जब गुस्ल फ़र्ज हो तो कुरआन करीम की तिलावत जयाज़ नहीं, दूसरे अज़कार जायज़ हैं।

## बेवुजू कुरआन छूना और खाते हुए

### तिलावत करना

सवाल: क्या कुरआन बेवुजू पढ़ना जायज़ है? अगर तिलावत के दौरान बुजू हो लेकिन मुँह से कुछ खा भी रहे हों तो क्या तिलावत हो जाती है?

जवाब: बेवुजू तिलावत जायज़ है, कुरआन मजीद को हाथ न लगाया जाए। खाते हुए तिलावत करना ख़िलाफ़े अदब है।

## बगैर वुजू तिलावते कुरआन का सवाब

सवाल: आपने एक सवाल के जवाब में तहरीर फरमाया है कि कुरआन हकीम को बगैर वुजू छूते नहीं और कुरआन करीम में देख कर पढ़ना बिना वुजू भी मना (वर्जित) है। अलबत्ता बगैर देखे बिना वुजू पढ़ सकते हैं। इस तरह तिलावत का सवाब है या नहीं?

जवाब: बगैर वुजू के कुरआन को हाथ लगाना मना है, तिलावत करना मना नहीं। अगर हाथ पर कोई कपड़ा लपेट कर या किसी चाकू वगैरह के जरिये कुरआन करीम के पन्ने उलटता रहे तो देखकर भी पढ़ सकता है, तिलावत का सवाब इस सूरत में भी मिलेगा, सवाब में कमी-बेशी और बात है।

## बगैर वुजू के दुरूद शरीफ़ पढ़ सकते हैं

सवाल: क्या बगैर वुजू के चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ़ का विर्द कर सकते हैं? जबकि खुदा का जिक्र तो हर हाल में जायज़ है, तो जिक्रे हबीब भी जायज़ होना चाहिए। ज़रा वज़ाहत फ़रमा दें क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि बगैर वुजू के दुरूद शरीफ़ न पढ़ा जाए। फ़र्ज़ करें अगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम मुबारक आ जाए तो अगर बगैर वुजू के हों तो क्या दुरूद न पढ़ें? हालाँकि नाम मुबारक पर तो दुरूद पढ़ना वाजिब है।

जवाब: बगैर वुजू के दुरूद शरीफ़ का विर्द जायज़ है, और वुजू के साथ तो सोने पर सुहागा है।

## बेवुजू अल्लाह का ज़िक्र

**सवाल:** एक आदमी दफ़्तर में बैठा है और बिल्कुल तन्हा है, और फ़ारिग़ है। कई बार पेशाब वग़ैरह के लिए भी आ जाता है और हाथ वग़ैरह सही तरीक़े से धोता है मगर मुकम्मल वुजू किसी वजह से नहीं करता, या ग़फ़लत समझ लें। तो इस हालत में फ़ारिग़ वक़्त में क्या वह अल्लाह तआला का ज़िक्र और नबी पाक का ज़िक्र या कोई और आयते करीमा वग़ैरह का विर्द कर सकता है या नहीं?

**जवाब:** ज़िक़े इलाही के लिए वुजू होना शर्त नहीं, बग़ैर वुजू के तस्बीहात पढ़ सकते हैं, हाँ वुजू के साथ ज़िक्र करना अफ़ज़ल है।

## लैट्रीन में कलिमा ज़बान से पढ़ना जायज़ नहीं

**सवाल:** बैतुलख़ला (लैट्रीन) में इस्तिन्जे के वक़्त भी कलिमा तथ्यिबा पढ़ना चाहिए या नहीं?

**जवाब:** बैतुलख़ला में ज़बान से पढ़ना जायज़ नहीं।

## लैट्रीन में दुआ ज़बान से नहीं

### बल्कि दिल में पढ़े

**सवाल:** अगर कोई शख्स बैतुलख़ला (लैट्रीन) में दाख़िल होने से पहले दुआ और बायें पाँव को दाख़िल करना भूल जाए और अन्दर जाकर याद आ जाए तो क्या करना चाहिए?

**जवाब:** ज़बान से न पढ़े दिल में पढ़ ले।

लफ़ज़ “अल्लाह” वाला लॉक़िट पहनकर

लैट्रीन जाना

सवाल: ऐस लॉक़िट जिन पर लफ़ज़ “अल्लाह” लिखा या खुदा हुआ होता है, उन्हें हर वक़्त गले में पहने रहना और पहन कर बाथरूम वगैरह में जाना जायज़ है या नहीं? क्या इस तरह खुदा तआला के नाम की बेअदबी नहीं होती?

जवाब: लैट्रीन में जाने से पहले उनको उतार देना चाहिए।

मैदान में क़ज़ा-ए-हाजत से पहले

दुआ कहाँ पढ़े

सवाल: शहरों में तो बैतुल्ख़ला होते हैं मगर देहात में नहीं होते, देहात में खुली जगह में क़ज़ा-ए-हाजत (पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने) के लिए जाए तो दुआ पढ़नी चाहिए या नहीं?

जवाब: बैतुल्ख़ला (लैट्रीन) में क़दम रखने से पहले और जंगल में सतर खोलने से पहले दुआ पढ़ी जाए।

नापाकी की हालत में नाख़ुन काटना

सवाल: नापाकी की हालत में अगर नाख़ुन काट लिए जायें तो क्या जब तक वे बढ़कर दोबारा न काटे जाएँ पाक न हो सकेंगे?

**जवाब:** नापाकी की हालत में नाखुन नहीं उतारने चाहिएँ मगर यह ग़लत है कि जब तक नाखुन न बढ़ जाएँ आदमी पाक नहीं होता ।

## नजासत और पाकी के मसाईल

### नजासते ग़लीज़ा और नजासते ख़फीफ़ा की परिभाषा

**सवाल:** मैंने बड़ों से सुना है कि अगर तीन हिस्से बदन के कपड़े नापाक हों और एक हिस्सा पाक हो तब भी नमाज़ क़बूल हो जाती है क्या यह सही है?

**जवाब:** जी नहीं..... मसला समझने समझाने में ग़लती हुई है। दर असल यहाँ दो मसले अलग-अलग हैं एक यह कि कपड़े को नजासत (नापाकी) लग जाए तो किस हद तक माफ़ है, इसका जवाब यह है कि नजासत की दो किस्में हैं 'ग़लीज़ा' और 'ख़फीफ़ा' ।

**नजासते ग़लीज़ा.....** जैसे आदमी का पाख़ाना, पेशाब, शराब, जानवरों का गोबर और हराम जानवरों का पेशाब वगैरह। ये सब सय्याल (बहने वाली) हो तो एक रुपये के फैलाव की मात्रा में माफ़ है। और अगर गाढ़ी हो तो पाँच माशे वज़न तक माफ़ है, इससे ज़्यादा हो तो नमाज़ नहीं होगी ।

नजासते ख़फीफ़ा..... जैसे (हलाल जानवरों का पेशाब) कपड़े के चौथाई हिस्से तक माफ़ है, चौथाई कपड़े से मुराद कपड़े का वह हिस्सा है जिस पर नजासत लगी हो, जैसे आसतीन अलग शुमार होगी, दामन अलग शुमार होगा, और माफ़ होने का मतलब यह है कि उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस नजासत का दूर करना और कपड़े का पाक करना बहरहाल ज़रूरी है।

और दूसरा मसला यह है कि अगर किसी के पास पाक कपड़ा न हो और नापाक कपड़े को पाक करने की भी कोई सूरत न हो तो आया नापाक कपड़े के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए या कपड़ा उतार कर नंगा होकर नमाज़ पढ़े? उसकी तीन सूरतें हैं- अव्वल यह कि वह कपड़ा एक चौथाई पाक है और तीन चौथाई नापाक है, ऐसी सूरत में उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नंगे होकर पढ़ने की इजाज़त नहीं। दूसरी सूरत यह है कि कपड़ा चौथाई से कम पाक हो उस सूरत में इख़्तियार है कि चाहे उस नापाक कपड़े के साथ नमाज़ पढ़े या कपड़ा उतार कर बैठकर रुकूअ़ सज्दे के इशारे से नमाज़ पढ़े।

तीसरी सूरत यह है कि कपड़ा कुल का कुल नापाक हो तो उस सूरत में नापाक कपड़े के साथ नमाज़ न पढ़े बल्कि कपड़ा उतार कर नमाज़ पढ़े, लेकिन नंगे आदमी को बैठकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, रुकूअ़ सज्दे की जगह इशारा करे ताकि जहाँ तक मुम्किन हो सतर छुपा सके। गर्ज़ यह कि



आपने जो मसला बुजुर्गों (बड़ों) से सुना है वह यह है कि आदमी के पास पाक कपड़ा न हो बल्कि सिर्फ एक ऐसा कपड़ा हो जिसके तीन हिस्से नापाक हों और एक हिस्सा पाक हो तो उसी कपड़े से नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है।

**कितनी नजासत लगी रह गई तो नमाज़ हो गई?**

**सवाल:** अगर गन्दे पानी के छींटे लग जाएँ तो धो लेना चाहिए। मगर एक साहिब यह फ़रमाते हैं कि अगर एक रुपया के सिक्के जितना गोल निशान हो तो नहीं धोना चाहिए। अगर उससे बड़े हों तो धोना चाहिए। जवाब देकर आभारी फ़रमाएँ।

**जवाब:** आपको मसला समझने में ग़लती हुई है। मसला यह है कि कपड़े को गन्दे पानी के या किसी और नजासत के छींटे लगे हुए थे और बेख़्याली में नमाज़ पढ़ ली तो यह देखेंगे कि अगर रुपया के सिक्के जितना गोल निशान था या इससे भी कम था तो नमाज़ हो गई, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं। और अगर उससे ज़्यादा था तो नमाज़ नहीं हुई दोबारा लौटानी पड़ेगी। यह मतलब नहीं कि अगर नजासत थोड़ी हो तो उसको धोना नहीं चाहिए।

**देर तक क़तरे आने वाले के लिए  
तहारत का तरीक़ा**

**सवाल:** आजकल नये दौर की वजह से लैट्रीन में फ़राग़त के बाद पानी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर बुजू कर

लिया जाता है, मगर जब पेशाब किसी खुली जगह पर किया जाता है और इस्तिन्जा के लिए मिट्टी के ढेले इस्तेमाल किए जाते हैं तो काफी देर तक पेशाब के क़तरे आते रहते हैं। तो फिर क्या पानी से इस्तिन्जा कर लेना और वुजू बना लेना दुरुस्त होगा? हालाँकि प्रबल गुमान है कि पेशाब के क़तरे बाद में भी आए होंगे।

**जवाब:** जिस शख्स को यह मर्ज़ हो कि देर तक उसे क़तरे आते रहते हैं, उसे पानी के साथ इस्तिन्जा करने से पहले ढेले या टिशू का इस्तेमाल लाज़िम है, जब इत्मीनान हो जाए तब पानी से इस्तिन्जा करे।

## हवा निकलने के साथ अगर नजासत निकल जाए तो वुजू से पहले इस्तिन्जा करे

**सवाल:** नमाज़ में अगर हवा ख़ारिज हो तो बग़ैर तहारत किए दूसरा वुजू करके नमाज़ पढ़नी जायज़ है या नहीं? अगर नमाज़ के बाहर हवा ख़ारिज होती रहे तो क्या तहारत वाजिब है या सिर्फ़ वुजू करके नमाज़ पढ़ लेनी जायज़ है, तहारत न करे?

**जवाब:** हवा ख़ारिज होने से सिर्फ़ वुजू लाज़िम आता है, इस्तिन्जा करना सही नहीं, अलबत्ता अगर हवा के साथ नजासत निकल गई हो तो इस्तिन्जा किया जाए।

## सोकर उठने के बाद हाथ धोना

**सवाल:** मैंने बहिश्ती ज़ेवर में यह पढ़ा था कि आदमी

सुबह सोकर उठता है तो उसके हाथ नापाक होते हैं और उसको हाथ पाक किए बगैर कोई नम चीज़ नहीं पकड़नी चाहिए। पूछना यह था कि अगर आदमी के हाथ पसीने से भीगे हुए या नम हों या उसने सोते में या नींद में जिस्म के ऐसे हिस्से को हाथ लगाया जो पसीने से भीगा हुआ या नम हो तो क्या ऐसी सूरत में भी वह और उसका जिस्म नापाक हो जाएँगे?

मोहतरम! मुझे पसीना कुछ ज़्यादा ही आता है और खास तौर पर सोने में, किसी एक करवट पड़े रहने में वह हिस्सा भीग जाता है। अब मैं अपने हाथ से जो पसीने से नम होते हैं अपना मुँह भी खुजाता हूँ और चादर भी ठीक करता हूँ। गर्ज जिस्म को कपड़ों को बिस्तर को हाथ लगाता हूँ।

जवाब: आपने बहिश्ती ज़ेवर के जिस मसले का हवाला दिया है वह यह है:

मसला: जब सोकर उठे तो जब तक गट्टे तक हाथ न धो ले तब तक हाथ पानी में न डाले चाहे हाथ पाक हो और चाहे नापाक हो।

आपने बहिश्ती ज़ेवर का हवाला देने में दो ग़लतियाँ की हैं- एक यह कि जब आदमी सोकर उठता है तो उसके हाथ नापाक होते हैं, हालाँकि बहिश्ती ज़ेवर के ऊपर जिक्र हुए मसले में सोकर उठने वाले के हाथों को नापाक नहीं कहा गया।

दूसरी ग़लती यह कि आपने लिखा कि “हाथ पाक किए बगैर कोई चीज़ नहीं पकड़नी चाहिए” हालाँकि बहिश्ती ज़ेवर

के ऊपर जिक्र हुए मसले में यह लिखा है कि “हाथ चाहे पाक हों या नापाक उनको पानी के बरतन में नहीं डालना चाहिए न यह कि किसी चीज़ को पकड़ना नहीं चाहिए”। सोने से पहले अगर बदन पाक था और नींद में जनाबत (नापाकी) की वजह से नापाक नहीं हुआ तो पसीना आने से न बदन नापाक होता है और न सोने वाले के हाथ नापाक होते हैं, लेकिन नींद से उठकर जब तक हाथ न धोए जाएँ उनको पानी के बरतन में नहीं डालना चाहिए।

## वुजू के पानी के कतरे नापाक नहीं होते

सवाल: वुजू करने के बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं तो फर्श पर वुजू के पानी के कतरे गिरते हैं, क्या उससे गुनाह मिलता है, क्या यह सही है कि नमाज़ की जगह पर पानी के कतरे नहीं गिरने चाहिएँ?

जवाब: जी नहीं यह मसला सही नहीं, वुजू के कतरे नापाक नहीं होते।

## वुजू के छींटों से हौज़ नापाक नहीं होता

सवाल: बाज़ लोगों से सुना है कि वुजू के पानी के छींटों से बचना चाहिए क्योंकि गिरने वाला पानी नापाक हो जाता है, जबकि बाज़ मस्जिदों में बड़े हौज़ होते हैं वुजू करते वक़्त वुजू का पानी हौज़ में गिरता है, इस सूरत में पानी नापाक हो जाता है या नहीं?

जवाब: हौज़ से वुजू करते वक़्त एहतियात से काम लेना

चाहिए ताकि छींटे हौज़ पर न गिरें, लेकिन उन छींटों से हौज़ नापाक नहीं होता।

**जुकाम में नाक से निकलने वाला पानी पाक है**

सवाल: नज़ले और जुकाम की वजह से जो पानी नाक से ख़ारिज होता है वह पाक है या नहीं? अगर पाक है तो किस दलील के तहत, और नापाक है तो किस दलील की वजह से?

जवाब: नज़ले और जुकाम की वजह से जो पानी नाक से बहता है वह नजिस और नापाक नहीं है, क्योंकि यह किसी ज़ख़्म से ख़ारिज नहीं होता, न किसी ज़ख़्म पर से गुज़र कर आता है। यही वजह है कि उससे बुजू नहीं टूटता।

**दूधपीते बच्चे का पेशाब नापाक है**

सवाल: दूधपीता बच्चा अगर कपड़ों पर पेशाब कर दे तो कपड़ों को धोना चाहिए या कि जैसे पानी गिरा देने से साफ़ हो जाएँगे?

जवाब: बच्चे का पेशाब नापाक है इसलिए कपड़े का पाक करना ज़रूरी है, और पाक करने के लिए इतना काफ़ी है कि पेशाब की जगह पर इतना पानी बहा दिया जाए कि उतने पानी से वह कपड़ा तीन मर्तबा भीग सके।

**बच्चे का पेशाब पड़ने पर कहाँ तक चीज़  
पाक हो सकती है**

सवाल: अगर मिट्टी के बरतन पर बच्चा पेशाब कर दे तो

क्या उस बरतन को तोड़ देना चाहिए या नहीं? अक्सर यह देखा गया है कि किसी मामूली गिज़ा पर बच्चा पेशाब कर दे तो लोग उसे ज़ाया कर देते हैं लेकिन अगर गिज़ा कीमती हो तो धोकर खा लेते हैं, हालाँकि पेशाब लाज़िमी तौर पर गिज़ा की गहराई तक गया होगा, ऐसे मौकों पर क्या हुक्म है?

जवाब: मिट्टी का बरतन तीन मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा यानी इस तरह धोए कि हर बार पानी टपकना बन्द हो जाए। जिस गिज़ा पर बच्चा पेशाब कर दे उसका खाना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता उसे ऐसी जगह रख दिया जाए कि कोई जानवर खुद आकर खा ले।

## एक मशीन पर ग़ैर-मुस्लिमों के कपड़ों के साथ धुलाई

सवाल: कपड़े धोने की मशीन मुश्तरका (संयुक्त) तौर पर कम्पनी की तरफ़ से मिली है, जिस पर अक्सर ग़ैर-मुस्लिम कपड़े धोते हैं। अगर किसी वक़्त कोई मुसलमान भी उस मशीन पर कपड़े धोये तो क्या मुसलमान के लिए उन कपड़ों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं?

जवाब: ग़ैर-मुस्लिमों के कपड़े धोने से तो कुछ नहीं होता आप जब कपड़े धो लें तो उनको तीन बार पानी में निकाल कर हर बार ख़ूब निचोड़ लिया करें, पाक हो जाएँगे।

## ड्राई-क्लीन के धुले कपड़ों का हुक्म

सवाल: यहाँ गर्म कपड़े धोने की जो दुकानें और फैक्ट्रीयाँ

हैं जिन्हें ड्राई-क्लीन कहते हैं, वे खास किस्म की मशीन होती हैं। उनमें पेट्रोल की किस्म का खास सय्याल (बहने वाला) मादा (मैटेरियल) डाला जाता है जो कि उन कपड़ों को धोता है वह मादा एक दफ़ा नया डालकर बार-बार उसी को साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। एक दो हफ़्ते के बाद नया डाला जाता है, इस दौरान दसयों बार उस मशीन में कपड़े डाले जाते हैं।

अब पूछने की बात यह है कि आया इस तरह धुले हुए कपड़े पाक होंगे या नापाक? चूँकि उसमें हर किस्म के कपड़े पाक व नापाक डाले जाते हैं, और उन मशीनों को पानी से कभी भी धोया नहीं जाता। इसलिए शुद्ध होता है कि उसमें धुले हुए सारे कपड़े नापाक हो जाते होंगे, अलबत्ता यकीन के दर्जे में यह मालूम नहीं कि उसमें नापाक कपड़े भी डाले गए। जवाब तफ़्सीली तहरीर फ़रमाएँ कि यह मसला यहाँ बहस का विषय बना हुआ है।

**जवाब:** यह तो ज़ाहिर है कि उन मशीनों में जो कपड़े डाले जाते हैं उनमें बहुत से नापाक भी होते होंगे, पाक व नापाक मिलकर सभी नापाक हो जाएँगे। और जैसा कि मामूल है नापाक कपड़े को पाक करने के लिए यह शर्त है कि तीन बार पाक पानी में डाला जाए और हर बार खूब निचोड़ा जाए। ड्राई-क्लीन की दुकानों में इस तदबीर पर अमल नहीं होता, इसलिए वहाँ के धुले हुए कपड़े पाक नहीं। अगर कभी वहाँ धुलवाने की नौबात आए तो उनको अपने तौर पर पाक कर लिया जाए।

यह तो उस सूरत में है कि इस बात का ग़ालिब गुमान हो कि मशीन में पाक और नापाक सभी किसिम के कपड़े डाले गए। और अगर नापाक कपड़ों के डाले जाने का ग़ालिब गुमान न हो, महज़ शक व शुब्हा हो तो उसका हुक्म यह है कि जिस हालत में आपने कपड़ा दिया था उसी हालत में रहेगा, यानी अगर पाक कपड़ा दिया था तो पाक रहेगा और नापाक दिया था तो नापाक रहेगा।

## क्या वाशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े

### पाक होते हैं

सवाल: क्या वाशिंग मशीन से धुले हुए नापाक कपड़े पाक हो जाते हैं? और क्या उनसे नमाज़ हो सकती है?

जवाब: धुलाई मशीन में साबुन के पानी में कपड़ों को धोया जाता है और फिर उस पानी को निकाल कर ऊपर से नया पानी डाला जाता है, और यह अमल बार-बार किया जाता है। यहाँ तक कि कपड़ों से साबुन निकल जाता है, इसलिए धुलाई मशीन में धुले हुए कपड़े पाक हैं।

### धोबी के धुले हुए कपड़े पाक हैं

सवाल: धोबी हमारे कपड़े और जाय-नमाज़ भी धोता है, हमें नहीं मालूम कि वह पाक धोता है कि नहीं, क्या धुले हुए कपड़े और जाय-नमाज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर तीन बार झाड़ने से पाक हो जाएँगे? या हमें उसके धोने के बाद खुद पाक करने के लिए धोना होगा?



जवाब: धोबी के धुले हुए कपड़े पाक हैं।

**प्लास्टिक के बरतन भी धोने से पाक हो जाते हैं**

सवाल: आप जानते हैं कि कराची में ज्यादातर प्लास्टिक के बरतन बनते और इस्तेमाल होते हैं। हमने यह सुन रखा है कि प्लास्टिक नजिस हो जाए (यानी एक नजिस छींट भी पड़ जाए) तो फिर पाक नहीं हो सकता, जबकि तमाम घरों में प्लास्टिक के बरतन और तमाम गुस्लखानों में प्लास्टिक की बालटियाँ टप और लोटे वगैरह इस्तेमाल होते हैं, और गुस्लखाने में आप जानते ही हैं कि छींट वगैरह ज़रूर पड़ ही जाती हैं।

जवाब: यह किस अक्लमन्द ने कहा है कि प्लास्टिक के बरतन पाक नहीं होते? जिस तरह दूसरे बरतन धोने से पाक हो जाते हैं इसी तरह प्लास्टिक के बरतन भी धोने से पाक हो जाते हैं।

**बरतन पाक करने का तरीका**

सवाल: अगर कच्चा बरतन (घड़ा) वगैरह नापाक हो जाए या पक्का बरतन (देगची, बालटी) वगैरह नापाक हो जाए तो कैसे पाक करें?

जवाब: बरतन कच्चा हो या पक्का तीन बार धोने से पाक हो जाता है।

**गन्दगी में गिर जाने वाली घड़ी को पाक करने का तरीका**

सवाल: मेरी हाथ की कीमती घड़ी वाटर-प्रूफ़ रात के नौ

बजे फ़्लैश (पाख़ाने) में गिर गई। कीमती होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्र और परेशानी हुई। सुबह नौ बजे जमादार ने फ़्लैश से घड़ी निकाल दी, यानी बारह घन्टे के बाद घड़ी निकाली गई। उस वक़्त भी वह बिल्कुल सही वक़्त से चल रही थी।

सवाल यह है कि क्या उसे धोकर इस्तेमाल की जा सकती है और उसको पाक करने का सही तरीका क्या है? उसे हाथ पर बाँधकर नमाज़ और तिलावत कर सकते हैं?

जवाब: अगर इत्मीनान है कि पानी उसके अन्दर नहीं गया तो सिर्फ़ ऊपर से धोकर पाक कर लेना काफी है, वरना खोलकर धो लिया जाए और पानी के बजाय पेट्रोल से पाक कर लेना भी काफी है।

## रूई और फ़ोम का गद्दा पाक करने का तरीका

सवाल: फ़ोम और रूई के गद्दे को किस तरह पाक किया जाए? अगर बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करने से वह नापाक हो जाए, क्योंकि उमूमन छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं।

जवाब: ऐसी चीज़े जिसको निचोड़ना मुम्किन न हो उसके पाक करने का तरीका यह है कि उसको धोकर रख दिया जाए, यहाँ तक कि उससे क़तरे टपकने बन्द हो जाएँ। इस तरह तीन बार धो लिया जाए।

## नापाक कपड़े धूप में सुखाने से पाक नहीं होते

**सवाल:** कहा जाता है कि नये या पुराने कपड़े को हैज़ के दिनों में इस्तेमाल करने के बाद धूप में सुखाने के बाद वे पाक हो जाते हैं।

**जवाब:** अगर नापाक हो गए थे तो सिर्फ धूप में सुखाने से पाक नहीं होंगे, वरना ज़रूरत नहीं। क्योंकि हैज़ के दिनों में पहने हुए कपड़े नापाक नहीं होते, सिवाय उस कपड़े के जिसको नजासत लग गई हो।

## हाथ पर ज़ाहिरी नजासत न होने से बरतन

### नापाक न होगा

**सवाल:** जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो अगर वह नजासत वाली जगह और हाथ वगैरह साबुन से अच्छी तरह धो ले और उसके बाद अगर हाथ किसी बरतन को लगाए या किसी बरतन में खाना खाए तो वह बरतन नापाक हो जाता है या नहीं?

**जवाब:** जब उसके हाथ पर ज़ाहिरी नजासत (नापाकी) नहीं तो बरतन क्यों नापाक होगा।

## नापाक छींटों से कपड़े नापाक होंगे

**सवाल:** अगर पाक कपड़े पहन कर नापाक कपड़े धोए

जाएँ तो क्या नापाक कपड़ों के छींटों से पाक कपड़े नापाक हो जाएँगे?

जवाब: नापाक छींटों से कपड़े ज़रूर नापाक होंगे।

## नापाक कपड़ा धोने के छींटे नापाक हैं

सवाल: कपड़े धोते वक़्त हम पर छींटे पड़ते हैं तो हमारे कपड़े पाक रहते हैं या नहीं? जवाब देकर शुक्रिये का मौका दीजिए।

जवाब: कपड़े अगर नापाक हों तो छींटे भी नापाक होंगे, इसलिए या तो कपड़े धोते वक़्त ऐसे कपड़े पहने जाएँ जो आम इस्तेमाल के न हों, या नापाक कपड़ों को पहले एहतियात के साथ पाक कर लिया जाए। जिसका तरीका यह है कि जितनी जगह नजासत लगी है, उसको तीन बार धो दिया जाए।

## गन्दे लोगों से टच होने पर कपड़ों की पाकी

सवाल: मैं एक कम्पाउंडर हूँ और हमारे इलाके में हिन्दू कौमों की अक्सरियत है, और मैं डिस्पेन्सरी में काम करता हूँ। वहाँ पर 90 फीसद हिन्दू मरीज़ आते हैं और ये कौमों हिन्दू होने के साथ-साथ रहन सहन में काफी गन्दी हैं। डिस्पेन्सरी छोटी होने की वजह से काफी खिच-पिच हो जाती है और उनके जिस्म और कपड़े मेरे कपड़ों से लगते हैं, क्योंकि मैं एक कम्पाउंडर हूँ इसलिए काफी धुल-मिलकर काम करना पड़ता है। इसलिए आप यह बताएँ कि इस तरह मैं उन कपड़ों में

नमाज़ अदा कर सकता हूँ या नहीं? कोई हल बताएँ कि मैं अपने कपड़े पाक रख सकूँ।

**जवाब:** अगर उनके जिस्म पर जाहिरी कोई नजासत (गंदगी और नापाकी) न हो तो उनके साथ आपके खल्लत-मल्लत होने से आपके कपड़े नापाक नहीं होते, बगैर किसी वहम के उन कपड़ों में नमाज़ पढ़िये।

## नापाक जगह सूखने के बाद पाक हो जाती है

**सवाल:** बाज़ घरानों में बल्कि अक्सर घरानों में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो जगह-जगह पेशाब कर देते हैं। क्या ऐसी सूरत में उस जगह बैठने या सोने वाला नमाज़ पढ़ने के काबिल रहता है? याद रहे कि वह जगह साये में सूख गई हो, जवाब देकर तसल्ली फ़रमाएँ।

**जवाब:** नापाक ज़मीन सूख जाने के बाद नमाज़ के लिए पाक हो जाती है और ऐसी जगह के सूख जाने के बाद वहाँ बगैर कपड़ा बिछाए भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है, लेकिन अगर तबीयत में कराहत आए तो वहाँ कपड़ा बिछाकर नमाज़ पढ़ ली जाए।

**सवाल:** नापाक जगह ज़मीन वगैरह को किस तरह पाक किया जा सकता है? क्योंकि पुख़्ता होने की सूरत में धोकर पाक हो जाएगा लेकिन कच्ची जगह जैसे कच्चा सेहन या कच्ची छत वगैरह तो उसके लिए क्या हुक्म है?

**जवाब:** ज़मीन सूख जाने से पाक हो जाती है। उस पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, मगर उससे तयम्मूम करना दुरुस्त

नहीं।

## जिस चीज़ का नापाक होना यकीनी या ग़ालिब न हो वह पाक समझी जाएगी

सवाल: जनाब! मैं अक्सर कपड़े या कोई नापाक चीज़ धोते वक़्त शक में पड़ जाता हूँ। बाद में यह ख़्याल आता है कि यह शक की बिना पर धोया है, इसी तरह कोई चीज़ वाक़ई नापाक हो जाए तब भी परेशानी रहती है।

जवाब: जिस चीज़ का नापाक होना यकीनी या ग़ालिब न हो उसको पाक ही समझा कीजिए, चाहे कितने ही वस्वसे (ख़्यालात) आएँ उनकी परवाह न कीजिए। और जिसके बारे में ग़ालिब गुमान हो कि यह नापाक होगी उसको पाक कर लिया कीजिए। उसके बाद वस्वसा (कोई वहम और ख़्याल) न कीजिए।

## पाकी में शैतान के वस्वसे को ख़त्म करने की तरकीब

सवाल: मैं अगरचे यकीनी तौर पर किसी नापाक चीज़ को धोता हूँ मगर एक शक ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इस वजह से मैं तक़रीबन हर वक़्त परेशान रहता हूँ। कुरआन व हदीस की रोशनी में वाज़ेह फ़रमा दें।

जवाब: इस शक का इलाज यह है कि आप कपड़ा या चीज़ तीन बार धो लिया कीजिए और (कपड़े को हर बार

निचोड़ा भी जाए) बस पाक हो गई। उसके बाद अगर शक हुआ करे तो उसकी कोई परवाह न कीजिए बल्कि शैतान को यह कहकर धुतकार दीजिए कि ओ मरदूद! जब अल्लाह और रसूल इसको पाक कह रहे हैं तो मैं तेरे शक डालने की परवाह क्यों करूँ? अगर आपने मेरी इस तदबीर पर अमल किया तो इन्शा-अल्लाह आपको शक और वहम की बीमारी से निजात मिल जाएगी।

## जिन कपड़ों को कुत्ता छू जाए उनका हुक्म

**सवाल:** आजकल मुसलमान अंग्रेजों की तरह कुत्ते पालते हैं, अगर ये कुत्ते कपड़ों या बदन के हिस्सों के साथ लग जाएँ तो क्या वह जगह नापाक हो जाएगी? अगरचे कुत्ते का बदन गीला न हो?

**जवाब:** जो लोग शौकिया कुत्ते पालते हैं उनके लिए पाक नापाक का सवाल ही नहीं। अगर उनको नापाक समझते तो उनसे नफरत भी करते। कुत्ते के बदन से अगर कपड़ा या कोई और चीज़ टच हो जाए तो वह नापाक नहीं होती, जबकि उसके बदन पर कोई ज़ाहिरी नजासत न हो, चाहे उसका बदन खुश्क हो या गीला। अलबत्ता कुत्ते का लुआब (मुँह की राल और थूक) जिस चीज़ को लग जाए वह नापाक है और कुत्ता उमूमन कपड़ों को मुँह लगा देता है। पस जिस कपड़े को कुत्ते ने मुँह लगा दिया हो वह नापाक हो जाएगा।

## कुत्ते का लुआब नापाक है

**सवाल:** अगर कुत्ता हाथ या पाँव पर ज़बान फेर दे तो

क्या बदन भी पलीद (नापाक) हो जाएगा?

जवाब: कुत्ते का लुआब (थूक और मुँह की राल) नजिस भी है और जहर भी, इसलिए जिस जगह कुत्ते का लुआब लगे वह नापाक है और उसको साफ करना लाज़िम है।

## क्या छोटा कुत्ता भी नापाक है?

सवाल: अगर बड़ा कुत्ता पलीद (नापाक) है तो छोटा कुत्ता यानी कुत्ते का कम-उम्र बच्चा पलीद है या पाक?

जवाब: छोटे और बड़े कुत्ते का एक ही हुक्म है, अल्लाह तआला आपको कुत्तों के शौक के बजाए उनसे नफ़रत नसीब फ़रमाए।

## बिल्ली के जिस्म से कपड़े छू जाएँ तो?

सवाल: मेरी एक दोस्त है जो मेरे घर आई थी, बिल्ली से भाग कर कुर्सी पर पैर उठाकर बैठ गई। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी कि बिल्ली अगर कपड़ों से लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं और नमाज़ नहीं होती, जबकि मेरी दादी ने कहा कि बिल्ली अगर सूखी हो तो नमाज़ हो सकती है, हाँ अगर बिल्ली गीली हो तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। आप इस्लाम की रोशनी में इसके बारे में क्या कहते हैं?

जवाब: बिल्ली के साथ कपड़े लगने से नापाक नहीं होते चाहे बिल्ली सूखी हो या गीली हो, बशर्ते कि उसके बदन पर कोई जाहिरी नजासत न हो।



## नापाक चर्बी वाला साबुन

**सवाल:** मुर्दार और हराम जानवरों की चर्बी के साबुन से तहारत हो जाती है और नमाज़ें वगैरह दुरुस्त और ठीक हैं या नहीं?

**जवाब:** नापाक चर्बी का इस्तेमाल जायज़ नहीं, लेकिन ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना जिसमें यह चर्बी डाली गई हो जायज़ है, क्योंकि साबुन बन जाने के बाद उसकी माहियत (हकीकत व असलियत) तब्दील हो जाती है।

---

---